RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

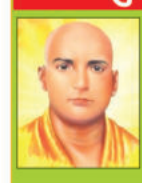

केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार नहीं, प्रकाश की अति भी मनुष्य की आंखों के लिए अंधकार है।

स्वामी रामतीर्थ

वर्ष-07, अंक - 36 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 29 मई 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

चाल... चरित्र... और चेहरा...

मीठा-मीठा गट-गट, कड़वा-कड़वा थू-थू...

माही की गूंज में 19 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित समाचार जिसमें भाजपा ने झाबुआ जिले के एक मंडल का अध्यक्ष कुछ दिन पुर्व ओन लाईन सदस्य बनाकर बना दिया। वही भाजपा ने मंदसौर के धाकड़ नेताजी को ओनलाईन सदस्य होने पर भाजपा नेता मानने से इंकार किया...?

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

मंदसौर/झाबुआ। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मात्र एक मिस कॉल से सदस्य बनने की सुविधा और यह सुविधा केवल अपने फायदे के लिए यानी अगर पार्टी को आपसे कोई काम है या संगठन का कोई पद देना हो तो डिजिटल सदस्यता स्वीकार है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे पार्टी की छवि को आघात लगता है तो पार्टी आपको डिजिटल सदस्य बतलाकर आपसे पल्ला झाड़ सकती है। कुछ ऐसा ही वाक्या पिछले दिनों हुआ जिसमें पार्टी को मंडल पद देने के लिए तत्काल सदस्यता फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और सदस्यता शुल्क भी ऑनलाइन ले लिया जाता है और पार्टी द्वारा मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दे दी जाती है।

वही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गत दिनों एक भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के पति मनोहरलाल धाकड़ का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उक्त शर्मनाक कृत्य करने वाले भाजपा नेता को डिजिटल सदस्य बतलाकर अपना सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया। यानी मीठा-मीठा, गट गट और कड़वा थू..थू...।

अश्लीलता की सारी हदे पार

मंदसौर जिले के भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का गत दिनों एक अश्लील वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वे एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में रंगरेलियां मनाते हुए दिखाई दे रहे। उक्त वीडियो इतना अश्लील है कि, उसके सामने अश्लीलता शब्द भी बहुत छोटा है और खुलेआम हाईवे पर इस प्रकार का कृत्य न केवल अक्षम्य है वरन सामाजिक व्यवस्थाओं का भी खुलेआम उल्लंघन है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कटाक्ष चल रहे हैं और लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बावजूद इसके भाजपा ने उक्त नेता पर कोई भी कार्रवाई केवल इसलिए नहीं की गई कि, कहीं जिला पंचायत में भाजपा अल्पमत में ना आ जाए। आखिर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है जहां नैतिक मर्यादा का कोई मोल नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में प्रदेश कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल पर कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है कि, कहीं आदिवासी वोट बैंक न खिसक जाए।

वर्तमान राजनीतिक दौर में अब नया ट्रेड चल गया है जहाँ जुर्म नहीं देखा जाता बल्कि यह देखा जाता है कि, जुर्म करने वाला कितने वोट दिलवा सकता है उस पर की जाने वाली कार्रवाई वोटो के हिसाब से तय की जाती है। उक्त दोनों ही घटनाओं में भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे की राजनीतिक को गहरा आघात लगा है।

राजनीति का एक वह भी दौर था जब शर्म जिंदा थी तात्कालिक रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद (जिसमें उनका कोई दोष नहीं था) इस्तीफा दे दिया था। तब नैतिकता के आधार पर ही त्यागपत्र दे दिए जाते थे। वहीं भाजपा के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जिन्ना पर किताब लिखने के बाद पार्टी की गाइडलाइन से टकराए तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। वहीं इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी पर बयान देने के बाद इस्तीफा ले लिया गया। वहीं दक्षिण के मंत्री ने विवादित बयान देने के बाद खुद आगे रहकर इस्तीफा देकर अपने सार्वजनिक जीवन का सम्मान बचाया।

लेकिन वर्तमान के राजनीति दौर में राजनीति सुचिता व नैतिकता की बात बेमानी लगती है। अब तो मंत्री कोर्ट की फटकार के बाद भी मंत्री इसलिए बने रहते हैं कि, अब राजनीतिक जन सेवा नहीं वोट प्रबंधन है। अब सार्वजनिक जीवन में इज्जत नहीं इलेक्शन और चरित्र नहीं कॉस्ट कैलकुलेशन देखा जाता है।

मंदसौर नेताजी के वीडियो कांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। जिसके बाद पुलिस ने जागरूकता दिखाते हुए नेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जल्दी ही नेताजी जमानत पर बाहर आ गए और वीडियो के फर्जी होने व कार को बेच देने वाले बयान दे दिए। अब सच्चाई क्या है...? यह तो कानूनी जांच में ही पता चल सकेगा लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर सकते में डाल दिया है। सार्वजनिक जीवन में जीने वालों से अपने निजी जीवन में भी नैतिकता का पालन करने की उम्मीद की जाती है और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मर्यादा का होना बहुत ही आवश्यक है। नैतिकता का तगाजा होता है कि, आदमी ऐसा कोई भी कृत्य या आचरण न करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए। हाल ही में बिहार में भी एक घटना घटित हुई है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार विधानसभा में विधायक तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अपनी महिला मित्र के साथ एक फोटो डाली। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अपने पुत्र तेज प्रताप को न केवल अपने पार्टी से बाहर कर दिया, वरन अपने परिवार से भी अलग कर दिया। जिसके बाद से मध्य प्रदेश में भाजपा से यही सवाल किया जा रहा है कि, क्या वे अपने नेताओं पर इस प्रकार की कार्रवाई की हिम्मत दिखा सकती है...?

फिर कोरोना का खतरा, 12 लोगों की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में कोरोना वायरस के मामले गंभीर स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन संक्रमण का प्रसार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका में कोविड से हालात चिंताजनक हैं। जहाँ हर सप्ताह लगभग 350 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी की जानकारी के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में 350 नागरिकों की मौत कोविड से हुई है।

भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,083 हो गई है। केरल में सबसे अधिक 430 सक्रिय मरीज हैं। मंगलवार को कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5, और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए। वहीं गुजरात में 13 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भी संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को दो महिलाएँ कोरोना संक्रमित पाई गईं। इनमें से एक को बुखार और हल्की खांसी है, जबकि दूसरी महिला में कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को 78 वर्षीय एक कोरोना संक्रमित मरीज की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। यह राज्य में कोविड के नये स्वरूप से पहली मृत्यु है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार अब तक देश में कुल 12 मौतें हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29-30 मई को बिहार दौरे को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोविड जांच की जाएगी। जयपुर में 26 मई को दो मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें से एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मृत पाया गया, जिसकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। दूसरी मृत्यु निजी अस्पताल में भर्ती 26 वर्षीय युवक की हुई, जिसे पहले से टीबी की बीमारी थी। वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला की कोरोना संक्रमण के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 25 मई को ठाणे में ही इलाज करवा रहे 21 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई, जिसे 22 मई से अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 वर्षीय बुजुर्ग की मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण मृत्यु हो गई थी। वहीं केरल में भी दो लोगों की कोविड से मौत की पुष्टि की गई है।

अपीलः बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं इंतजार

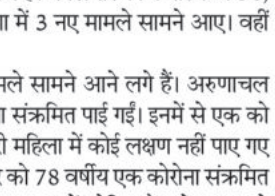

श्रीनगर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर देशभर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि, वे बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा पर आएं। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवादी हमले और पाकिस्तानी गोलाबारी से पर्यटन को हुए नुकसान पर चिंता जताई और कहा कि, कश्मीर की सुंदरता देखने लायक है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को केवल पर्यटन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्थायी व्यवसायिक क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने पूरे देशवासियों से अमरनाथ यात्रा पर आने की अपील करते हुए कहा, यहाँ के लोग और भोलेनाथ, दोनों आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पलटवार : भाजपा का पाक कनेक्शन आरोप सी-ग्रेड फिल्म जैसा

नई दिल्ली। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने उन पर लगाए गए पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों को झूठा बताते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, भाजपा इस मुद्दे को सी-ग्रेड हिंदी फिल्म की तरह पेश कर रही है, जो पूरी तरह फ्लॉप होगी।

गोगोई ने बताया कि, वह केवल एक बार, 2013 में अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान गए थे। उनकी पत्नी एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना के तहत एक साल वहां कार्यरत थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कुछ गलत था तो 11 सालों में भाजपा सरकार और एजेंसियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की..?

इसके साथ ही गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की कंपनियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर में कोयला खनन और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर भी सवाल उठाए।

प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि, कार्रवाई के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे संदेह होता है कि, यह सिर्फ दबाव बनाने का तरीका था। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की।

बिना अनुमति से पेड़ काटा, तीन अधिकारियों पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी।

सर्वोच्च न्यायालय ने रिज क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने डीडीए को आपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए तीन अधिकारियों मनोज कुमार यादव, पवन कुमार और आयुष सरस्वत पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, डीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभासिश पांडा, जो उस समय अवकाश पर थे और अब पद पर नहीं हैं, को इस आधार पर राहत दी गई है।

यह मामला दिल्ली के रिज क्षेत्र में 11 सौ से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा है। यह कटाई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफ आइएमएस) अस्पताल तक पहुंचने वाली सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 में दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि, रिज क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इसके बावजूद, डीडीए ने फरवरी 2024 में पेड़ काट डाले और इस तथ्य को छिपाया कि उसने 4 मार्च 2024 को न्यायालय से अनुमति के लिए आवेदन किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर की पीठ ने इसे प्रशासनिक अतिरेक और अधिकारों के दुरुपयोग का मामला बताते हुए कहा कि, दिल्ली जैसे नगर में इस प्रकार के कार्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि, यह पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला अपराध है।

न्यायालय ने डीडीए की आंतरिक जांच में दोषी पाए गए तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया और स्पष्ट किया कि, इनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए कई निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत तीन सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। जो रिज क्षेत्र में पुनर्वनीकरण की योजना तैयार करेगी तथा सड़क के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी। यह समिति समय-समय पर न्यायालय में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भारत से गए मुहाजिरों पर अत्याचार, प्रधानमंत्री से बचाने की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी।

पाकिस्तान में रह रहे भारत से गए मुस्लिमों यानी मुहाजिरों पर अत्याचार थम नहीं रहे हैं। पाकिस्तान से निर्वासित नेता और मुत्ताहिदा कौमी आंदोलन (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मुहाजिरों को बचाने की भावुक अपील की है।

अपने लाइव संबोधन में अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि, पाकिस्तान में भारत से गए मुहाजिरों को आज भी पाकिस्तानी नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों में अब तक 25 हजार से अधिक मुहाजिर युवाओं की हत्या हो चुकी है। तथा हजारों युवाओं को उनके माता-पिता के सामने से उठा लिया गया, जो अब तक लापता हैं।

हुसैन ने बताया कि, पिछले 61 वर्षों से मुहाजिरों का शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। विभाजन के समय जिन लाखों लोगों ने अपना घर-बार छोड़कर पाकिस्तान में नई ज़िंदगी शुरू की थी, वे आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अपने संदेश में हुसैन ने स्पष्ट किया कि, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोई पत्र नहीं लिखा, बल्कि उनका नाम लेकर तारीफ की और एक भावुक अपील की है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का बलूच लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख साहसी और नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था ने न केवल मुहाजिरों को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनकी आवाज़ उठाने वाली पार्टी पर बार-बार सैन्य कार्रवाई की है।

कौन हैं मुहाजिर?

मुहाजिर वे लोग हैं जो भारत-पाक विभाजन के दौरान और उसके बाद भारत से पाकिस्तान गए थे। विशेष रूप से उत्तर भारत से जाकर कराची, सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में बसे ये उर्दूभाषी लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बन गए। शिक्षा, व्यापार और प्रशासन में उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन आज वे वहां दोयम दर्जे की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं।

रूस नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा - ट्रंप

मॉस्को एजेंसी।

अमेरिका अक्सर बिना बुलाए मेहमान की तरह दखल देता है और खुद को विश्व का चौधरी समझता है। कई बार उसे कड़े और स्पष्ट जवाब भी मिलते हैं। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि, वह आग से खेल रहे हैं और अगर हालात नहीं सुधरे तो रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुतिन ने भी जवाब में कहा कि, हमें भी एक बेहद बुरी चीज़ पता है तीसरा विश्व युद्ध! यह बयान यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका द्वारा रूस पर बनाए जा रहे दबाव का हिस्सा माना जा रहा है।

कुछ दिन पहले यूक्रेन में हुए बड़े ड्रोन हमले के बाद ट्रंप ने पुतिन को पागल तक कह डाला था। अमेरिका इस समय रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है और ट्रंप के इस बयान को उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा

अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो रूस के लिए अब तक बहुत बुरा हो चुका होता। और मेरा मतलब वाकई बहुत बुरा है। पुतिन आग से खेल रहे हैं! पश्चिमी देशों का आरोप है कि, पुतिन जानबूझकर शांति वार्ताओं से बच रहे हैं, जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन उनके नागरिकों पर हमले कर रहा है, और यह केवल जवाबी कार्रवाई है।

रूस ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि वह राजनयिक समाधान को असफल बनाने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप इस सप्ताह रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अब देखना यह है कि ट्रंप की यह आक्रामक भाषा और रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी आने वाले समय में विश्व राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी।

जमीन पट्टे के नाम हुई धोखाधड़ी का मामला कलेक्टर के पास पहुंचा

जनसुनवाई में लगाई कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार, एसडीएम के निर्देश के बाद नही हुई कोई जांच

जिला जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुँचे हीना बैरागी और राहुल अग्रवाल।

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खण्ड की बड़ी पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत सारंगी में सरपंच-सचिव द्वारा सरकारी भूमि पर पट्टे देकर धोखाधड़ी करने का मामला जिला कलेक्टर नेहा मीणा के पास पहुँच गया है। शिकायतकर्ता राहुल अग्रवाल और हिना बैरागी ने जनसुनवाई मे कलेक्टर के समक्ष पहुँच कर उनके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

नहीं हुई कोई जांच, एसडीएम के निर्देश उड़े हवा में

शिकायतकर्ताओं ने इससे पहले जनसुनवाई कार्यक्रम पेटलावद में आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। शिकायत के बाद एसडीएम तनुश्री मीणा ने जांच के लिए पत्र जनपद पंचायत को तुरंत भेज दिया था। जिसके बाद जाँच दल बनाया गया था। लेकिन कोई जांच होने की जानकारी सामने नही आई। एक शिकायत की जांच शुरू भी नही हो पाई थी कि, इस प्रकार की धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आ गया था। शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी हेतु आवेदन जनपद सीईओ को दिया गया तो पता लगा कि, इस विषय मे कार्रवाई आगे नही बड़ी। शिकायतकर्ता राहुल अग्रवाल ने बताया कि, जनपद सीईओ को आवेदन देकर मामले में हुई जांच के प्रमाणित दस्तावेज मांगे लेकिन जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि, तहसीलदार साहब नही है इसलिए जांच में देरी हो रही है। जनपद के अधिकारियों के रवैये को देखते हुए मामले की शिकायत कलेक्टर से की है।

थाने पर भी दिया आवेदन

शुक्रवार को हीना बेरागी ने भी पुलिस थाना पेटलावद में आवेदन देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत की है। इससे पूर्व राहुल अग्रवाल भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। इस प्रकार के मामलों में प्रशासन और पुलिस पर भारी राजनीतिक दबाव रहता है और लंबे समय से ग्राम पंचायत की सरपंच फुंदी बाई मेडा आने वाले समय मे पेटलावद विधानसभा में भाजपा का चेहरा बन सकता है, ऐसे में इस गंभीर मामले सहित ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपो से निकलने की कड़ी चुनोती उनके सामने होगी।

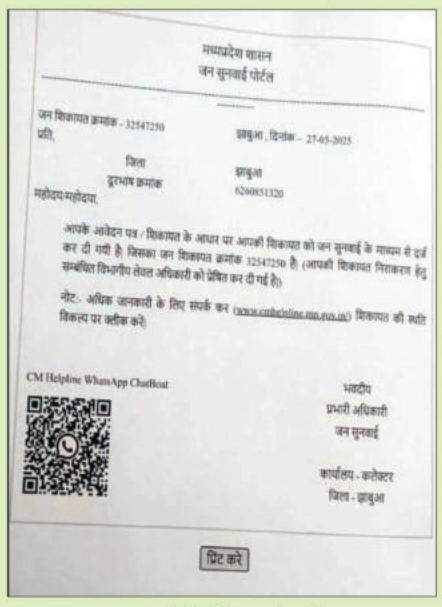

मध्यप्रदेश शासन
जन सुनवाई पोर्टल

जन शिकायत क्रमांक - 32547250
प्रति, झाबुआ, दिनांक - 27-05-2025

जिला झाबुआ
दूरभाष क्रमांक 6260851320

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र / शिकायत के आधार पर आपकी शिकायत को जन सुनवाई के माध्यम से दर्ज कर दी गयी है जिसका जन शिकायत क्रमांक 32547250 है (आपकी शिकायत निराकरण हेतु सम्बंधित विभागीय लेवल अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है)

नोट- अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर (www.cmhelpline.mp.gov.in) शिकायत की स्थिति विकल्प पर क्लीक करे

CM Helpline WhatsApp ChatBoat

भवदीय
प्रभारी अधिकारी
जन सुनवाई

कार्यालय - कलेक्टर
जिला - झाबुआ

प्रिंट करे

जनसुनवाई में दर्ज शिकायत की पावती।

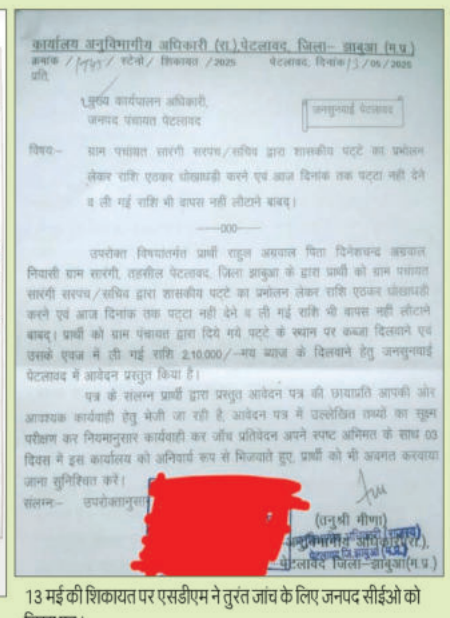

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र.)
क्रमांक / [illegible] / स्टेनो / शिकायत / 2025 पेटलावद, दिनांक 13 / 05 / 2025
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत पेटलावद

जनसुनवाई पेटलावद

विषय:- ग्राम पंचायत सारंगी सरपंच/सचिव द्वारा शासकीय पट्टे का प्रलोभन लेकर राशि एठकर धोखाधड़ी करने एवं आज दिनांक तक पट्टा नहीं देने व ली गई राशि भी वापस नहीं लौटाने बाबद्।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रार्थी राहुल अग्रवाल पिता दिनेशचन्द अग्रवाल निवासी ग्राम सारंगी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के द्वारा प्रार्थी को ग्राम पंचायत सारंगी सरपंच/सचिव द्वारा शासकीय पट्टे का प्रलोभन लेकर राशि एठकर धोखाधड़ी करने एवं आज दिनांक तक पट्टा नही देने व ली गई राशि भी वापस नहीं लौटाने बाबद्। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे के स्थान पर कब्जा दिलवाने एवं उसके एवज में ली गई राशि 2,10,000/- मय ब्याज के दिलवाने हेतु जनसुनवाई पेटलावद में आवेदन प्रस्तुत किया है।

पत्र के संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है, आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर जाँच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ 03 दिवस में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाते हुए, प्रार्थी को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार [redacted]

(तनुश्री मीणा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
पेटलावद जिला-झाबुआ (म.प्र.)

13 मई की शिकायत पर एसडीएम ने तुरंत जांच के लिए जनपद सीईओ को लिखा पत्र।

श्रीमद भागवत कथा के अंतिम दिन भक्त झूमे

माही की गुंज, भामल।

मादलदा रोड पर 21 तारीख से चल रही सप्तदिवसीय श्रीमद भागवत कथा का समापन मंगलवार रात्रि को आयोजन के साथ किया गया। रात 8 बजे से लेकर देर रात 2 बजे तक चले इस कार्यक्रम में ग्राम सहित समीपवर्ती क्षेत्रों और राजस्थान सीमा से सटे बड़ी सरवा, पाटन आदि गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुँचे।

कथा वाचन पूज्य गायत्री जी वैष्णव ताज़खेड़ा (ताल) के मुखारविंद से हुआ। सात दिन तक उन्होंने श्रीमद भागवत कथा की अमृतवाणी से भक्तों को भावविभोर किया। अंतिम दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कथा वाचक को बग्गी पर विराजमान कर पूरे ग्राम में शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में बढ़-चढ़कर भाग लिया। शाम को प्रसादी स्वरूप भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

श्री राठोड़ को सनातन धर्म रक्षक सेना का संरक्षक मनोनीत किया

माही की गूंज, काकनवानी।

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डाडमचंद राठोड़ को सनातन धर्म रक्षक सेना के संरक्षक पद पर मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य संत आचार्य श्री विजय जी महाराज की सर्व सम्मति से की गई है।

डाडमचंद राठोड़ लंबे समय से समाज सेवा, धर्म रक्षा एवं गौ सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वही वे कलाल समाज झाबुआ-अलीराजपुर के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। उनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्रभक्ति को देखते हुए संगठन ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।

संस्था ने उन्हें मनोनयन पत्र भेंट करते हुए आशा जताई कि, वे अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे और देश एवं धर्म के प्रति अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर संस्था के अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

श्री राठोड़ ने इस अवसर पर कहा कि, वे संस्था के उद्देश्यों पर दृढ़ रहते हुए धर्म और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने इस विश्वास के लिए संगठन के पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया।

पूरे जिले में वैध-अवैध मेडिकलों की जांच होना जरूरी, लायसेंस और डिग्री पर नाम किसी का, संचालन किसी ओर का

मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मियों के पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं, फिर भी संचालक ओने-पोने दामों पर रख लेते है काम पर

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो जिले में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी फार्मसिस और दवा दुकनों की अनियमित्ता में एक अलग ही किर्तिमान दिखाई पड़ रहा है। कहीं-कहीं तो इतनी हद है कि, दवा दुकानों के लायसेंस किसी के नाम होता है और कोई ओर ही उसका संचालन कर रहा होता है। जिले में ऐसे कई उदाहरण है जिसमें एक ही व्यक्ति की फार्मा डिग्री पर कई मेडिकलों का संचालन हो रहा है। कई मामलों में पहले तो संचालक के पास खुद दवाई दुकान चलाने हेतु कोई लायसेंस या डिग्री नहीं होती उस पर सितम यह कि, उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी 'नीम हकीम खतरा ए जान' वाली दिखाई देती है। कई मेडीकलों पर कर्मचारी 10 वीं या 12 वीं पास या फेल होकर मेडिकल पर जॉब करते नजर आते है। हालांकि यह लोग संचालक की निगरानी में काम करते है, लेकिन मेडिकल संचालक की गैर मौजूदगी में भी यह लोग आने वाले ग्राहकों को कभी खाली नहीं जाने देते। ग्राहक द्वारा मांगी गई मौखिक दवाई या उसके द्वारा बताई गई बीमारी की अपनी मर्जी से दवाई बनाकर दे देते है। वैसे तो इस प्रकार के मामले कम ही प्रकाश में आते है। लेकिन पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल स्टोर से इसी तरह दवाई लेने और देने के बाद उस दवाई से एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग , प्रशासन व पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल को सील कर दिया था। मेडिकल संचालक व कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब मेडिकल संचालक जमानत पर बाहर है। इस पूरे मामले में जो खास बात सामने निकल कर आई वह यह थी कि, मेडिकल संचालक की उपस्थिति के बावजूद मेडिकल पर काम कर रही युवती ने गलती से गलत दवाई दे दी थी। जिसे खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई।

यह मामला उजागर होने के बाद जिले में संचालित हो रहे तमाम मेडिकल संदेह के घेरे में आ खड़े हुए है। सवाल यह कि, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब जिले में संचालित हो रहे तमाम मेडिकलों की जांच कब करेगा? या इन मेडिकल संचालकों की डिग्री या मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता की जांच कब होगी? हालांकि कई बार ऐसी खबरें देखने में आती है जब जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला, दवाई दुकानों का निरीक्षण करता दिखाई देता है। लेकिन इस निरीक्षण में कितनी अनियमित्ताएं मिली है इसकी जानकारी कोई कभी नहीं देता। सुत्र तो यह भी बताते है कि, निरीक्षण के लिए पहुंची टीम की खबर वैसे ही दुकानदारों को हो जाती है जैसे झोलाछाप डाक्टरों को स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की दबिश की खबर लग जाती है। नतीजे जो निकल कर सामने आते है वह भी चौकाने वाले ही होते है। जब टीम पहुंचने की खबर लगती तो मेडिकल संचालक अपनी दुकानों पर ताले जड़ फरार हो जाते या फिर जिस तरह की सेटिंग झोलाछाप करते है शायद वैसे ही सेटिंग अवैध मेडकील संचालक भी कर लेते है और निरीक्षण करने पहुंची टीम चंद टुकड़ों के आगे नतमस्तक होकर लौट आती है।

मगर कल्पना भर कीजिए कि, जिले भर में कितने मेडिकल संचालित हो रहे है, इनमें कितने लायसेंसी या फार्मा डीग्री वाले है और कितने अवैध तरीके से संचालित हो रहे है। इनका कोई रिकार्ड भी प्रशासन के पास है या फिर यहां भी अंधेर गर्दी ही है। सवाल यह भी है कि, इन वैध-अवैध मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मचारियों की क्या योग्यता है...? क्योंकि बहुत कम मानदेय में फार्मा डिग्री वाले कर्मचारी जिले में मिलना नामुमकिन है। जिले में किसी मेडिकल पर कार्य करने के लिए जो योग्यता लागू है वह सिर्फ इतनी है कि वह कम से कम 10 वीं या 12 वीं कक्षा पढ़ा हुआ हो और उसे इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए। और इस तरह के बेरोजगारों की जिले में कोई कमी नहीं है। मेडिकल संचालक ऐसे लोगों को बहुत अल्प मानदेय देकर अपनी दुकान पर रख लेते है। सुत्र बताते है कि, इसके पीछे मेडिकल संचालक का यह तर्क होता कि, समय के साथ-साथ अनुभव हो जाता है। बात भी सही है, लेकिन जब अनुभव लेते -लेते एक मेडिकल का साधारण सा कर्मचारी डॉक्टर बनने लगे तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है '' नीम हकीम खतरा ए जान''। मतलब सीधा सा है आधा डॉक्टर आपकी जान के लिए खतरा है और इस तरह के आधे-अधूरे डॉक्टर जिले में संचालित हो रहे लगभग हर मेडिकल या दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाते है।

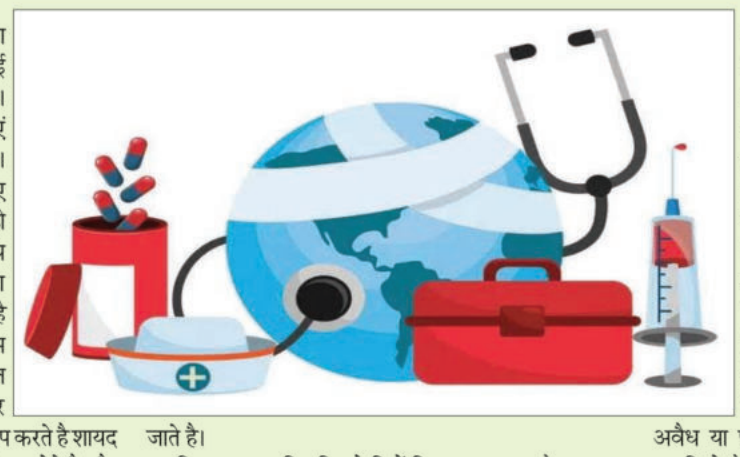

विडम्बना यह कि, पिछले दिनों जिला मुख्यालय के एक मेडिकल पर हुई इसी तरह की घटना के बाद अब तक ना तो स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदान में नजर आया और ना ही प्रशासन ने इस ओर कोई रूची भर दिखाने की कोशिश की। जिस मेडिकल पर यह घटना क्रम हुआ सिर्फ उसी एक मेडिकल व उसके संचालक पर कार्रवाई की गई। उसके अलावा जिले के किसी भी मेडिकल पर जांच या कार्रवाई का कोई समाचार अब देखने को नही मिला है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले में मेडिकल दुकानों पर बैठे आधे-अधूरे डॉक्टरों से जिले की जनता को कितना खतरा है।

रही बात मेडिकलों पर अमानक दवाईयों के विक्रय की तो यह कौन नहीं जानता कि, मेडिकलों पर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। जब जिला मुख्यालय के मेडिकलों पर अमानक और अवैध दवाईयों का विक्रय हो रहा है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे मेडिकलों पर क्या-क्या नहीं मिलता होगा। वैसे भी जिले में कई मेडिकल ऐसे है जहां से नसेड़ियों को नशे की खुराक उपलब्ध हो जाती है तो लगभग हर मेडिकल से नसेड़ी या कोई आम आदमी भी सुई और सिरिंज आसानी से ले सकता है। नशीली दवाईयों की अगर बात करें तो नसेड़ी इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते है, कई दवाईयां ऐसी है जो मेडिकलों पर वैध रूप से ही मिल जाती है। इसके लिए किसी तरह की कोई डॉक्टर की चिट्ठी या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि मेडिकल संचालक भी कई बार यह समझता है कि, जो दवाई दी जा रही है उसमें नशा है। इस तरह की दवाईयों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें खुजली, जुखाम, सर्दी, खासी की दवाएं भी शामिल है। कई दवाईयों में एलकोहल की मात्रा अधिक होती है। मगर मेडिकल संचालक कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता है कि, दवाई लेने आया व्यक्ति किस लिए दवाई ले रहा है। अगर दवाई लेने आया ग्राहक पहचान या मेडिकल का खाता धारक है तब तो सवाल ही नही उठता की उससे किसी तरह की पूछताछ की जाए।

अवैध या प्रतिबंधित दवाईयों की अगर बात करें तो लगभग जिले के हर मेडिकल पर यह संचालक के पहचान वालों और खाताधारकों के लिए उपलब्ध रहती है। गर्भपात से संबंधित दवाईयां इनमें प्रमुख है। मगर मजाल है कि, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन इनकी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। मेडिकल संचालक के अलावा मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी भी अपने जान पहचान व रिश्तेदारों की डिमांड बहुत ही आसानी से पूरी कर देते है। फिर चाहे वह दवाई प्रतिबंधित ही क्यों न हो। गर्भपात व सेक्स संबंधी दवाएं भी मेडिकलों से इसी तरह सप्लाय होती है। मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी अपने जान पहचान व रिश्तेदारों को इन दवाओं की बकायदा होम डिलेवरी भी करते है। यह और बात है कि, यह मेडिकल संचालक के संज्ञान में होती है या नहीं।

कोरोना काल की तरह अब क्यों नही

कोरोना काल में मेडिकलों पर लगे प्रतिबंध हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। कोरोना काल मतलब सबसे खराब समय, मगर इस दौरान सरकार ने मेडिकलों पर ऐसी नकेल कसी थी कि मेडिकल से बिकने वाली हर दवाई का डाटा स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन चेक कर रहा था। संदिग्द्ध होने पर मेडिकल संचालक खुद ग्राहक को यह समझाईश देते थे कि, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं दी जाएगी। बकायदा ग्राहक की एंट्री, ली गई दवाई की एंट्री सबकुछ ऑन रिकार्ड हो रहा था। स्थिति यह थी कि, मेडिकल से किसी तरह की कोई भी अवैध दवाई नहीं बिक पा रही थी। गलती होने पर मेडिकल संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की धौंस इतनी तगड़ी थी कि संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवाई नहीं दे रहे थे। मगर अब स्थिति फिर से ढाक के तीन पात है।

वैसे अगर देखा जाए तो जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की जिस तरह भरमार है वैसे ही अवैध मेडिकलों और उन पर काम करने वाले अयोग्य कर्मचारियों की भी भरमार है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके है कि, ''नीम हकीम खतरा ए जान'' इसी तरह झोलाछाप और अवैध मेडिकल संचालक या मेडिकल पर काम करने वाले कर्मचारी भी झोलाछाप की तरह ही आधे-अधूरे डॉक्टर ही बनकर काम कर रहे है। जो जिले की जनता के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

वैसे तो मेडिकल संचालन के लिए फार्मा डीग्री का होना आवश्यक है, लेकिन जिले में कई मेडिकल इस गाइड लाइन को पूरा करते नहीं दिखाई देते है। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि, अगर कोई मेडिकल का संचालन खेरची दुकान के तौर पर करता है तो उसे फार्मा डीग्री की आवश्कता होती है। लेकिन अगर कोई थोक दवाईयों का व्यापार करता है तो उसे इस तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस शर्त यह रहती कि, वे किसी को भी डॉक्टर की पर्ची से दवाई नही दे सकते सिर्फ और सिर्फ मेडिकल संचालकों को ही थोक सप्लाय कर सकते है। नतीजा यह है कि, जिले में कई मेडिकल इसी तरह की फार्मा थोक एजेंसियों की आड़ में संचालित हो रहे थे और होंगे। कई झोलाछाप भी इसी तरह की फार्मा एजेंसियों के नाम से मेडिकल का संचालन कर रहे है, तो कई मेडिकल भी ऐसे है जो एजेंसी के नाम पर दवाईयों का थोक व्यापार ना करते हुए खेरची दवाईयां बैच रहे है। इस तरह के अवैध मेडिकलों पर सभी तरह की वैध-अवैध और प्रतिबंधित दवाई भी आसानी से मिल जाती है।

अब देखना यह है कि, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जिले में संचालित हो रहे इस तरह के मेडिकलों की जांच पड़ताल कब करेगा या फिर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए हर एक अवैध मेडिकल के बदले किसी न किसी जिलेवासी को अपनी जान गवानी पड़ेगी। अगर जिलेवासियों की जान से होने वाले खिलवाड़ को रोकना है तो फिर जांच जरूरी है। चाहे वह वैध-अवैध मेडिकल के संचालकों की हो या मेडिकलों पर काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता की हो या फिर अवैध और प्रतिबंधित दवाईयों की... जांच तो जरूरी है।

भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव को हटाने की मांग को लेकर सरपंच और ग्रामीण धरने पर बैठे

12 लाख का भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी सचिव को नही हटाना मिली भगत की निशानी - गामड़

माही की गूंज, पेटलावद।

सोमवार को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीण ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूसिंह गामड के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मण मुनिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कार्य मे लापरवाही का आरोप लगाते हुए सचिव को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जनपद कार्यालय का मुख्य द्वार रोक कर बैठे ग्रामीणों को जनपद के अधिकारी राजेश दीक्षित एवं तहसीलदार निगवाल ने समझाइश देने की कोशिश की लेकिन सरपंच सहित ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे और सचिव के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे।

सरपंच बालुसिह गामड ने बताया कि, ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मण सिंह मुणिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत मेरे द्वारा की गई थी जिसकी जांच जनपद द्वारा बनाई गई टीम द्वारा की गई थी और सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करना साबित हुआ। इसके बाबजूद सचिव को ग्राम पंचायत से नही हटाया गया।

सचिव का बड़ा भ्रष्टाचार

जनपद द्वारा बनाई गई टीम द्वारा की गई जांच में सचिव लक्ष्मण सिंह मुणिया के कार्यकाल में हुए निर्माण, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की राशि में 12 लाख 9 हजार रूपये की हेराफेरी होना पाया गया एवं उसकी वसूली के आदेश भी जारी किए गए। जांच को लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई कोई वसूली सचिव से नही हुई। सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद जिला पंचायत द्वारा केवल वसूली के आदेश दिए गए। सचिव पर किसी प्रकार से निलंबन की कार्रवाई नही की गई।

सरपंच बालूसिंह गामड ने बताया कि, जब सचिव पर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो अधिकारियों ने सचिव पर पुलिस प्रकरण दर्ज करने की न तो अनुसंसा की, न ही सचिव को हटाया गया, न ही उसका निलंबन किया गया। इससे साफ है कि, सचिव की जिला प्रशासन तक मिलीभगत है और भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं।

नही हो पा रहे हैं सरकारी कार्य ,हर कार्य के लिए वसूली

सरपंच-सचिव के बीच आपसी खिंच तान के चलते ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। सरपंच ने बताया कि, सचिव न तो रोज ग्राम पंचायत में आता है न ही ग्रामीणों के कार्य कर रहा है। जन्म,मृत्यु, विधवा-वर्धा पेंशन ,आईडी सुधारना, केवाईसी जैसे सभी कार्य रुके पड़े हैं। सरपंच ने ग्राम पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची भी जनपद के अधिकारी को दी। जिंसमे नामजद लोगो से सर्वे के नाम पर 500 रुपये ओर स्वीकृत मकान के लिए एक हजार से पाँच हजार रुपये सचिव द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत है। इसके अलावा भी सचिव द्वारा शासन की योजना का लाभ देने के नाम पर हितग्राहियों से वसूली की जाती है। सरपंच ने बताया कि, सचिव को ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड में हैरफेरी करने के उद्देश्य से नही हटाया गया। सचिव ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिना जानकारी और बिना कारण 400 से ज्यादा जाबकार्ड डिलीट कर दिए जिससे ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं।

धरने पर बैठे ग्राम पंचायत गोदड़िया के ग्रामीण एवं सरपंच।

गुमराह करते हैं अधिकारी

उधर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ राजेश दीक्षित बचाते नजर आए और कार्रवाई ओर सचिव को हटाने का अधिकार नही होने की बात कहते नजर आए। जब सीईओ दीक्षित से इस विषय मे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि, सचिव को हटाने का अधिकार हमारे पास नही है और हमने कार्यवाही करके ऊपर फाइल भेज दी। वर्तमान में ट्रांसफर नीति खुली हुई है इसके तहत सचिव को हटाने हेतु जानकारी दी गई है। तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल द्वारा भी मौके पर पहुँच कर सरपंच ओर ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। देर शाम को जनपद सीईओ के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ ।

सरपंच बालूसिंह गामड ने कहा कि, यदि सचिव पर कार्रवाई नही की जाती तो ग्रामीण फिर से धरने पर बैठेंगे।

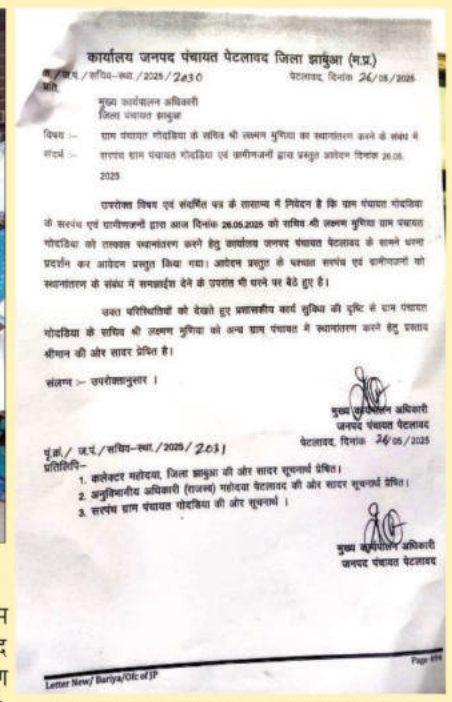

आखिर पुलिस प्रकरण क्यो नही?

जनपद पंचायत पेटलावद में जारी भ्रष्टाचार की प्रमाणित जानकारी कोई पहली बार सामने नही आई है। विकास खण्ड की कम से कम बीस पंचायतो के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिंसमे लाखो रुपये वसूली के आदेश जिला पंचायत द्वारा जारी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ग्राम पंचायत की खुली चोरी पकड़े जाने के बाद अब तक किसी भी मामले में पुलिस प्रकरण नही बना। मतलब सरकारी राशि मे हेराफेरी, भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी कानून के दायरे में न आकर केवल वसूली योग्य बना कर समाप्त किये जा रहे हैं। तथा अपराध की परिभाषा बदल कर रख दी। उधर जांच अधिकारी और प्रतिवेदन तैयार करने वाले अधिकारियों ने आज तक एक भी भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस प्रकरण की अनुसंसा तक नही की जिससे उनकी कार्यप्रणाली और मिली भगत के बड़े सवाल खड़े होते हैं।

कार्यालय जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.)

क्र./ज.पं./सचिव-स्था./2025/2030 पेटलावद, दिनांक 26/05/2025

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत झाबुआ

विषय :- ग्राम पंचायत गोदडिया के सचिव श्री लक्ष्मण मुणिया का स्थानांतरण करने के संबंध में

संदर्भ :- सरपंच ग्राम पंचायत गोदडिया एवं ग्रामीणजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.05.2025

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि ग्राम पंचायत गोदडिया के सरपंच एवं ग्रामीणजनों द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को सचिव श्री लक्ष्मण मुणिया ग्राम पंचायत गोदडिया को तत्काल स्थानांतरण करने हेतु कार्यालय जनपद पंचायत पेटलावद के सामने धरना प्रदर्शन कर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत के पश्चात सरपंच एवं ग्रामीणजनों को स्थानांतरण के संबंध में समझाईश देने के उपरांत भी धरने पर बैठे हुए है।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायत गोदडिया के सचिव श्री लक्ष्मण मुणिया को अन्य ग्राम पंचायत में स्थानांतरण करने हेतु प्रस्ताव श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत पेटलावद

पृ.क्र./ ज.पं./सचिव-स्था./2025/2031 पेटलावद, दिनांक 26/05/2025

प्रतिलिपि-
1. कलेक्टर महोदया, जिला झाबुआ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदया पेटलावद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सरपंच ग्राम पंचायत गोदडिया की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत पेटलावद

धरने के बाद जनपद पंचायत की ओर से सचिव को हटाने का पत्र जिला पंचायत को भेजा गया।

देव स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की - कटारा

माही की गूंज, पेटलावद।

स्थानीय जनपद पंचायत के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा अध्यक्षों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें विशेष रूप से पेसा जिला समन्वयक अधिकारी गौरसिंह कटारा उपस्थित रहे। गौरसिंह कटारा के द्वारा 15 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा नियम का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें पेसा नियम के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जैसे ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा पंचायत राज संस्थाएं, शांति एवं विवाद निवारण समिति, भूमि प्रबंधन, जल संसाधन ,एवं लघु जल संभर योजना, खान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वनोपज, साहूकारी, एवं सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं व कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण ,तथा विभिन्न हितग्राही योजनाओं में हितग्राहियों का चयन करना आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। ताकि किसी भी तरह से ग्राम सभा अध्यक्षों में जानकारी का अभाव न रहे इसके लिए प्रयास किया गया।साथ ही जिला समन्वयक द्वारा गांव की रूढ़िवादी परम्पराओं एवं जनजाति समाज की आदिम संस्कृति एवं ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित कर उन्हें सुरक्षित रखने के संबंध में ग्राम सभा अध्यक्षों को बताया गया। सीईओ राजेश दीक्षित द्वारा पेसा नियम पर ग्राम सभा अध्यक्षों को विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ब्लाक समन्वयक अधिकारी कैलाश निनामा द्वारा किया गया।

प्री मानसून की बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त

माही की गुंज, खवासा। सुनील सोलंकी

शहर सहित ग्रामीण अंचलों में इन दिनों मौसम की प्री मानसून के तहत बारिश होने के कारण आम जन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। मई का पूरा एक माह निकल गया जिससे मौसम काफी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही प्री मानसून की बारिश तेज आंधी-तुफान से कई ग्रामीण अंचलों में टिन शेड के साथ ही पेड़-पौधे धराशाई हो गए हैं। पानी की बौछार के साथ लगातार तेज हवाओं से ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो ग्रामीण अंचलों में विद्युत व्यवस्था भी चरमरासी गई है जिसकी वजह से कई जगह अंधेरे के साथ ही कम वोल्टेज की समस्या से गुजरना पड़ा,। वही आंधी तूफान के साथ ग्रामीणों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। दिन में गर्मी तो शाम को 3 से 4 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून की गतिविधिया होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। तो वहीं 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को भी लगातार तेज बारिश के साथ हवा चली जिसके कारण ग्राम पंचायत भामल के अंतर्गत आमली फलिया, रूपापाड़ा व वडलीपाड़ा आदि जगह पर ग्रामीणों के टिन शेड से बने हुए मकान में चद्दर तेज हवाओं के साथ उड़ गए। वही घर के अंदर बँधी एक भैंस की भी मौत हो गई। लोगो को काफ़ी नुकसान ही झेलना पड़ा।

कई जगह पुराने कवेलू वाले मकान भी धराशाई हो गए ग्रामीण भुण्डा पिता दल्ला गरवाल, चंदू डांगी, रमेश पिता गलिया डामर, देवू वाला सिंगाड़, जीतेन्द्र मानसिंह वसुनिया, कमली कमल झोड़ियां, वैसा शैतान झोड़ियां, अनिल पिता रमेश डामर, दिनेश हुमला डांगी, मनीष रमेश डामर, गलियां बिरजी डामर, कमल रणजी डांगी, रामचंद्र पल्ला डामोर, बालू पुन्ना वडखिया, आदि लोगों का आंधी व बारिश के साथ भारी नुकसान हुआ है। जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आर्थिक मदद मिले इसकी मांग ग्रामीणों ने की।

पंथ संचलन में कदमताल करते हुए स्वयंसेवक समूह ने सभी को किया आकर्षित

माही की गूंज ,पेटलावद।

मातृहस्त भोजन की अनूठी पहल कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग(व्यवसायी) में 206 परिवारों ने मिलकर 400 संघ के अधिकारी, प्रशिक्षक, शिक्षक व प्रबंधकों को एक खुले मैदान में बैठ कर परिवारसह भोजन करवाया।

मातृहस्त भोजन की परिकल्पना में 15 दिन से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों को घर जैसा माहौल प्रदान करना और सामाजिक समरसता के भाव को दृढ करना रहा। जिसमें वर्ग स्थल पर खुले मैदान में 206 ब्लाक बनाकर हर ब्लाक में एक एक परिवार और उनके साथ दो स्वयंसेवक ने साथ बैठकर भोजन किया। जब यह संपूर्ण दृश्य जिसने भी देखा उसने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। इस मातृहस्त भोजन में परिवार अपने साथ घर से ही बैठने के लिए दरी से लेकर भोजन की सभी आवश्यक सामग्री को लेकर आते है और सामूहिक रूप से परिवारसह भोजन करवाते है। जिसमें परिवारजन भी साथ में भोजन करते है। 206 परिवार के 480 सदस्य व वर्ग के 400 स्वयंसेवक एक साथ एक स्थान पर बैठ कर परिवारसह भोजन का आनंद लिया। मातृहस्त भोजन के पश्चात स्वयं सेवकों के द्वारा प्रति एक परिवार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दो- दो पौधे प्रदान किये गये ।

पंच परिवर्तन का संकल्प

सामाजिक समरसमता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक अनुशासन इन पंच परिवर्तन पर संघ अपने शताब्दी वर्ष में कार्य कर रहा है। जिसमें सभी हिंदू भाई बहनों को जातीवाद से उपर उठ कर सामाजिक समरसता के भाव जागृत करने की प्रेरणा दी जा रही है। जिसके तहत सभी में समानता का भाव जागृत हो कर्म अलग अलग हो सकते है पर सभी हिंदू एक है। उक्त बात मातृहस्त भोजन के लिए आए 206 परिवारों को बौद्धिक देते हुए मालवा प्रान्त सह कार्यवाह रघुवीरसिंह सिसौदिया ने कहीं।

इस अवसर पर रतलाम विभाग सह कार्यवाह और वर्ग प्रबंध पालक आकाश चौहान भी उपस्थित रहे। रधुवीरसिंह सिसौदिया ने कहा कि, हमें सबसे पहले कुटुम्ब प्रबोधन की आवश्यकता है। हमारी पुरातन परंपरा परिवार के एक साथ भोजन करने, बच्चों में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और परिवार में एक जुटता लाना होगी। पश्चिमी संस्कृति व्यक्ति प्रधान है पर हमारी भारतीय संस्कृति परिवार प्रधान है। हम परिवार को महत्व देते है। रधुवीर सिंह सिसौदिया ने बताया कि नागरिक अनुशासन जरूरी है। जिस प्रकार हम सरकार से अपेक्षा रखते है। इसी प्रकार हमारे कर्तव्य भी होते है। हमें समय पर कर चुकाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सरकारी सपंती को नुकसान नहीं पहुंचाना,स्वच्छता का ध्यान रखना आदि बातों में नागरिक अनुशासन लाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढेगा। इसके पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षार्थीयों के द्वारा पथ संचलन निकाला गया।

पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के कारनामे आने लगे सामने

युवक ने एसपी को आवेदन देकर लगाया रुपये वसूलने का गम्भीर आरोप

माही की गूंज , पेटलावद।

विवादित पेटलावद पूर्व थाना प्रभारी दिनेश शर्मा से एक ओर विवाद जुड़ गया है, उनके लाइन अटैच होने के बाद अब धीरे-धीरे उनसे पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रकरण कमजोर करने के नाम से एक युवक से पैसे वसूलने का गम्भीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने 23 मई को पुलिस अधीक्षक झाबुआ को लिखित आवेदन पेश करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। युवक का आरोप है कि, प्रकरण में कमजोर धारा लगाने के नाम पर राशि ली गई। पीड़ित युवक राजेश मालवीय ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में पूरी घटना का विवरण देते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

राजेश मालवीय, जो कि एक बस कंडक्टर हैं और खामडीपाड़ा गांव के निवासी हैं, ने बताया कि, रतलाम में प्रदीप बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत रतलाम थाने में रिर्पोट दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद फिर से 10 अप्रैल को विवाद पुनः बढ़ गया , 12 अप्रैल को उन्हें पेटलावद थाना प्रभारी दिनेश शर्मा द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और रात भर मुझे थाने की जेल में रखा गया और दिन भर रखकर थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने उनसे थाने में जातिसूचक गालियां दीं, डराया-धमका कर एक लाख रुपये की मांग की। जो पचास हजार में तय हुआ, युवक ने गरीब वर्ग का होने और पैसे नही होने की बात कहते हुए कहा कि मै, मेरे सेठ से उधार लाकर दूँगा। मामला सेट होने के बाद थाना प्रभारी दिनेश शर्मा द्वारा कम धारा लगाकर चालान पेश कर एसडीएम कोर्ट से मेरी जमानत हुई और मुझे छोड़ दिया गया।

सेठ से पैसे लेकर ,शर्मा के बताए नम्बर पर भेजे पैसे

युवक ने बताया कि, सेठ के पास से पचास हजार रुपए उधार लेकर आया और टीआई साहब ने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि, इस नंबर पर पेमेंट डाल दो तो मैंने वह पेमेंट उस नंबर पर डाल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि, पैसा देने के पंद्रह दिन बाद एक बार फिर राजेश को हस्ताक्षर के बहाने दोबारा थाने बुलाकर गिरफ्तार किया गया तथा जबरन चार अन्य नाम जोड़ दिए गए और उन पर गंभीर धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश किया गया।

राजेश का आरोप है कि, यह सब जानबूझकर किया गया ताकि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में क्या कार्रवाई हुई और इसकी जांच किस स्तर पर हो रही है इसकी जानकारी नही मिली हैं। मामला दलित युवक से जुड़ा है इसलिए पुलिस को मामला गम्भीरता से लेना होगा।

पीड़ित राजेश मालवीय।

सेवा में
पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला पुलिस कार्यालय, झाबुआ म.प्र.

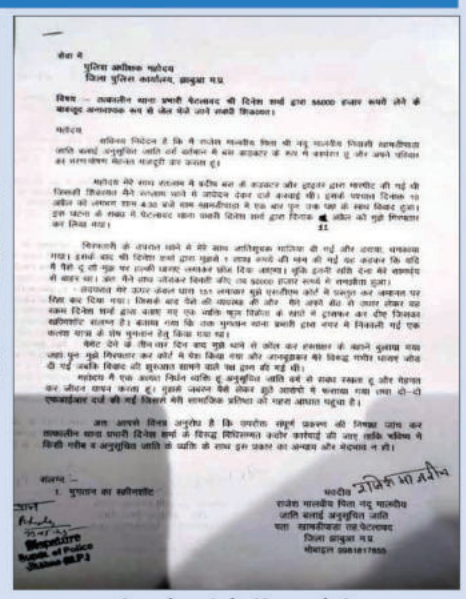

पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत की प्रति।

संपादकीय

मनरेगा को ठेंगा

श्रमिकों को घर के पास जीविका उपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई मनरेगा से जुड़ी धांधलियां अकसर उजागर होती रहती हैं। ताजा घटनाक्रम में ठेकेदारों व निहित स्वार्थी तत्वों की सांठगांठ को ऑनलाइन भुगतान के जरिये बेनकाब किया गया, जिसमें लाखों फर्जी श्रमिकों को भुगतान के मामले उजागर हुए। निश्चित रूप से ये घटनाएं हमारे समाज में येन-केन-प्रकारेण धन अर्जन की लालसा को ही उजागर करती हैं। साथ ही नैतिक मूल्यों के पतन की गाथा भी कहती हैं। ऐसे ही पंजाब के गुरदासपुर के गाजीकोट गांव में उजागर हुआ कार्टून घोटाला एक हास्यास्पद, लेकिन बेहद परेशान करने वाला उदाहरण है कि भ्रष्टाचार के लिये किस हद तक गिरा जा सकता है। कथित तौर पर पंचायत सदस्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत मजदूरों की उपस्थिति को फर्जी ढंग से दर्शाने के लिये एक सरकारी स्कूल के गेट पर बनाए गए कार्टूनों का सहारा लिया। इन चित्रों के साथ लाभार्थियों की तसवीरें मजदूरी के सबूत के तौर पर अपलोड की गई। विडंबना देखिए कि उस काम के लिए भुगतान लिया गया जो कभी किया ही नहीं गया था। दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक योजना के तहत स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग्स बनायी थी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया जा सके। लेकिन शातिर लोगों ने उसका दुरुपयोग मनरेगा में घोटाले को अंजाम देने के लिए किया। निश्चय ही यह हमारे समाज में कुशासन, नैतिक पतन और तकनीकी खामियों की घातक जुगलबंदी को दर्शाता है। इस घोटाले का एक बेशर्म पहलू यह भी था कि कथित तौर पर पंचायत अधिकारियों के करीबी दो भाइयों को कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह काल्पनिक काम के लिये बेशर्मी से भुगतान कर दिया गया। यही वजह है कि मनरेगा के तहत वित्तीय आवंटन व योजना के क्रियान्वयन को व्यावहारिक बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य व अदृश्य बेरोजगारी दूर करने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही है।

निःसंदेह, लंबे अरसे से मनरेगा के तहत मजदूरी देने में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। यह केवल पंजाब के गुरदासपुर का मामला ही नहीं है, हाल के वर्षों में पूरे देश में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले उजागर होते रहे हैं। कुछ दिन पहले, गुजरात में एक राज्य मंत्री के बेटों से जुड़े 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में फर्जी प्रोजेक्ट और अन्य धांधलियां सामने आई थीं। मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान किया गया। कुछ माह पूर्व कर्नाटक में, पुरुष श्रमिकों ने महिला जॉब कार्डधारकों का रूप धारण करने के लिये साड़ी पहनी थी। ये उदाहरण ग्रामीण आजीविका और सम्मान को बनाये रखने के लिये बनायी योजना का मजाक उड़ाने वाले हैं। दरअसल, ऐसे घोटालों का उजागर होना अंततः कल्याणकारी कार्यक्रमों में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। सही मायनों में ऐसी धांधलियों से वास्तविक लाभार्थियों के हितों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभाव संगठित भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। निस्संदेह, ऐसी धांधलियों को दूर करने के लिये गहन तथा प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। दरअसल, तसवीरों में धांधली और उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी रोकने के लिये डिजिटल उपकरणों के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए। साथ ही एक पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था भी कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा दोषी अधिकारियों तथा बिचौलियों के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। ग्रामीण गरीबों को सांकेतिक रोजगार और खोखले वायदों से कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। निश्चय ही वे सम्मानजनक पारिश्रमिक पाने के हकदार हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनरेगा ने देश में अंतर्राज्यीय प्रवास को कम किया है। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को भी बढ़ाया है। काम की तलाश में शहरों की ओर जाने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। खासकर कोरोना संकट में जब ग्रामीण महानगरों से पलायन करके बड़ी संख्या में गांवों की तरफ लौटे तो इस योजना ने जीवनदायिनी भूमिका निभाई।

ऑपरेशन सिंदूर के निष्कर्षों से सीखें सबक

ऑपरेशन सिंदूर का अचानक यूं खत्म होना एकदम अप्रत्याशित था दरअसल में, यह किसी परीक्षा-पत्र में 'पाठ्यक्रम से इतर' आए सवाल की तरह रहा! हालांकि, अच्छा हुआ कि पूर्ण पैमाने का युद्ध टल गया और उम्मीद करें कि संघर्ष विराम का आगे उल्लंघन नहीं होगा। भले ही सशस्त्र बल हमारी सीमाओं पर सतर्क नज़र रखे हुए हों, तथापि कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो समीक्षा के रूप में निकाले जा सकते हैं।

सर्वप्रथम, मौजूदा सेना के रिवायती त्रि-सेवा तंत्र ने रणभूमि कमान के बिना भी काम कर दिखाया है। इसलिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए नरसंहार और 7 मई को आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद तीन दिन चले हमलों की शुरुआत होने के बीच की अवधि में थल और वायुसेना ने बड़ी विशेषज्ञता से संयुक्त योजना की रूपरेखा तय कर इनके परिणाम दिए। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले निरंतर, तीव्र और सघन थे और हमारी प्रतिक्रियाएं भी समान रहीं, लगभग सभी पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र (यूएवी, मिसाइल, सशस्त्र और बिना हथियार वाले ड्रोन) सफलतापूर्वक गिरा लिए गए, इसका श्रेय भारतीय वायुसेना के स्वदेश विकसित एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) को जाता है, जो सभी सैन्य और नागरिक राडार जनित समग्र सूचना को एकीकृत स्क्रीन पर संश्लेषित कर दिखा देता है। यह प्रणाली लक्ष्यों से पैदा होने वाले खतरों का इलेक्ट्रॉनिक आकलन करके, युद्ध नियंत्रक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जो भी हथियार प्रणाली सबसे उपयुक्त हो, उसका इस्तेमाल कार्रवाई करने का आदेश देती है।

दूसरा, चार दिनों तक चले आपसी टकराव मुख्यतः पूरी तरह से न सही, हवाई माध्यम से चोट पहुंचवाने वाले रहे। यह टकराव एक ऐसे सघन वायु रक्षा प्रणाली से लैस इलाके में हुए, जहां दोनों पक्ष वार-प्रतिवार की हवाई लड़ाई लड़ रहे थे, यह स्थिति इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में पश्चिमी ताकतों द्वारा और गाज़ा एवं लेबनान पर इस्राइलियों द्वारा की गई हवाई बमबारी से उलट थी, जहां उन्हें अपने अभियानों में विरोधियों के हवाई हमला निरोधक उपायों का सामना नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक है युद्ध में नुकसान भी होता है और यह संघर्ष की एक अनन्य प्रकृति है कि आक्रामक पक्ष को कुछ नुकसान झेलना ही पड़ता है, निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना इसका भी आलोचनात्मक विश्लेषण करेगी।

अब उपलब्ध फोटोग्राफिक साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत के यूएवी और मिसाइलों के हमले बहुत प्रभावी रहे, और यह तथ्य है कि पाकिस्तान भर में फैले उसके ग्यारह फ्रंटलाइन एयरबेसों पर भारतीय वायुसेना ने करारी चोट की है और यह हमारी पहुंच और हथियारों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। हालांकि, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रनों की घटती संख्या और वायु-शक्ति के बारे में काफी खबरें आती रही हैं और चूंकि हमारी सीमाएं आगे भी सक्रिय रहेंगी, इसलिए भारतीय वायुसेना की प्रहारक क्षमता बनाए रखने पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हथियार प्रणाली, एन्क्रिप्टेड संचार और प्रहारक क्षमता जैसे कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरियल फ्लाइट रिफ्यूलर और अत्याधुनिक अस्त्रास्त्र जैसी प्रणालियों की जरूतों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम विश्लेषण में यह याद रखना चाहिए कि यह एक अन्य उदाहरण रहा, जब वायु शक्ति की प्रभावशीलता ने शांति स्थापना की दिशा में राजनीतिक और कूटनीतिक वार्ता की राह प्रशस्त की।

तीसरा, हालांकि एस-400 सरफेस टू एयर मिसाइल (सैम) प्रणाली ने मुख्यतः मीडिया की सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन यह स्वदेशी राडार, सरफेस टू एयर मिसाइलें और काउंटर मानवरहित हवाई प्रणाली, जिनसे हमारी जमीनी वायु रक्षा की रीढ़ बनी है, इसकी बढ़िया कारगुजारी ने स्वदेशी हथियारों का महत्व उजागर किया है। गौरतलब है कि यह क्षमता डीआरडीओ और निजी क्षेत्र के सम्मिलित उद्यम से बनी है और वास्तव में यह बहुत उत्साहजनक है। ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम की प्रचुर उपलब्धता रहने के पीछे क्षेत्रीय कमानों के वाइस चीफ और कमांडर-इन-चीफ को दी गई आपातकालीन शक्तियों का परिणाम भी हो सकता है।

वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा डिजाइन की गई कम दूरी की एंटी-एयरक्राफ्ट प्रणाली, सरफेस-टू-एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन (एसएएमएआर) के रूप में अपने ही संस्थानों में विकसित किए स्वदेशी अस्त्र बहुत काम आए। यह एसएएमएआर हमने सरफेस-टू-एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली रूस निर्मित आर-73 और आर-27 एयर टू एयर मिसाइलों का नवीनीकरण करके पाया है (वरना इससे पहले उनका जीवनकाल समाप्त होने पर कबाड़ के रूप में खुर्द-बुर्द करना पड़ता था)। यह बताता है कि हमारे अपने संस्थानों में तीक्ष्ण बुद्धि दिमाग हैं, जिन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। यहां पर, उन अथक वायु रक्षा गनर्स (जिन्होंने लगातार एल-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे रिवायती शस्त्रास्त्र चलाए) और बीएसएफ के जवान (जिन्होंने एंटी-यूएवी सिस्टम को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल किया) द्वारा किए गए अद्भुत काम की सराहना करना लाजिमी है।

चौथा, एक आम आदमी जिसकी सूचना तक पहुंच केवल मीडिया से मिले समाचारों तक थी, लगता है इस बारे में नागरिक-सैन्य-राजनयिक तंत्र ने अच्छा काम किया है। एक ईमानदार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है कि क्या नवीनतम स्थिति युद्ध विराम समझौते की ओर ले जाने वाली घटनाओं और युद्ध विराम को स्वीकार करने से पहले मिले आश्वासनों के अनुरूप है। इसका उत्तर इस एक अकेले प्रश्न के उत्तर में निहित होगा, क्या हर बार आतंकवादी कार्रवाई होने पर इस किस्म की गतिज कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी? हालांकि पाकिस्तान को याद रहे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा होने पर बदले में दंडात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।

पांचवां, क्या युद्ध विराम इस बात का संकेत है कि हम लगभग पूर्ण युद्ध की कगार पर पहुंच चुके थे? कुछेक प्रश्नों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं, जिन्होंने अपने निर्दयी नरसंहार से यह सब शुरू किया था? क्या यह आश्वासन दिया गया है कि पाकिस्तान उन्हें ढूंढ़कर सौंप देगा? इतना ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चूंकि शिमला समझौते में आपसी समस्याओं का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के जरिए निकालने की बात कही गई है, इसलिए युद्ध विराम की घोषणा करते समय अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के बयान का यह भाग कि 'सभी मुद्दों पर तटस्थ जगह पर चर्चा करें', इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह करना फौरी तौर पर जरूरी है क्योंकि 'सभी मुद्दे' शब्द से समस्याओं का पिटारा खुल सकता है।

एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर

अंत में, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का जवाब चाहिए कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाली प्रणाली, जिसके लिए यह टकराव पहली परीक्षा रहा, क्या उसने वह काम कर दिखाया जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। सैन्य मिशनों की योजना वास्तव में कौन बना रहा था और 'युद्ध' को अंजाम किसने दिया दृ एकीकृत रक्षा स्टाफ ने या फिर सेना और वायु सेना के क्षेत्रीय कमान मुख्यालयों के कमांडर-इन-चीफ इन कार्रवाइयों का संचालन कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे उच्चतर रक्षा संगठन तंत्र (थिएटराइजेशन) के फिलहाल जारी पुनर्गठन में एक अमूल्य योगदान होगा दृ युद्ध की भट्ठी से तपकर निकले अनुभव से ज्यादा बढ़िया सबक दुबारा मिलना असंभव होगा।

वास्तव में, यह करना उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को एक उचित श्लाघा होगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया।

फैंसी ड्रेस की दुकान बन गया पाकिस्तान

पाकिस्तान की खबरें देखें, तो सवाल उठता है कि यह कॉमेडी है या ट्रेजेडी। यह देश है या ड्रामा है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती हैं कि शर्म आती है यह सोचकर भी कुछ सालों पहले यह भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, कैसे-कैसे उच्चकोटि की बेवकूफियां जहां से निकल रही हैं, वो कभी हिंदुस्तान था।

फैंसी ड्रेस की दुकान में एक बंदा निकलता है-भिखारी के भेष में- दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे, दे दे तेरे बच्चे जीयेंगे, दे दे चार दिन से रोटी नहीं खायी है, भिखारी रो रहा है, भिखारी करतब दिखा रहा है। भिखारी को दो चार रुपये मिल जाते हैं। भिखारी मस्त होकर सो जाता है।

फिर भिखारी फैंसी ड्रेस की दुकान में घुसकर नये भेष में आ जाता है-अबकी बार फुल रौब में फौजी ड्रेस में कह रहा है मार दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, एटम बम मार दूंगा। निकल बाहर अभी मार दूंगा।

फौजी ड्रेस वाला बंदा अंदर घुस जाता है, अब वह नेताई ड्रेस में आकर कह रहा है कि इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया की सांस बंद कर देंगे।

पाकिस्तान एक फैंसी ड्रेस की दुकान है, वही बंदा भिखारी हो जाता है, वही फौजी हो जाता है, वही नेता हो जाता है। मुल्क है या फैंसी ड्रेस की दुकान। पाकिस्तान, कामेडी ड्रामा भी है। जनरल साहब पिट गये, फिर वह प्रमोशन पा जाते हैं और वह फील्ड मार्शल हो जाते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हर युद्ध हारा है, और हर युद्ध के बाद जनरल प्रमोशन पा जाता है। इसलिए तो यह कमाल का मुल्क है।

दरअसल, पाकिस्तान एक बिगड़ैल बच्चा है, जो समझता है कि उसे पालना दुनिया की जिम्मेदारी है। उस बिगड़ैल बच्चे का जिम्मा सिर्फ रायता फैलाने का है। दुनिया भी परेशान हो गयी है, कैसे झेलें इस बिगड़ैल बच्चे को। बच्चा सुधरने को तैयार नहीं है।

बच्चा बड़ा होने से इनकार रहा है। बच्चा कुछ करता नहीं है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान से सिर्फ तीन तत्व जाते हैं बाहर, एक तो गधे जा रहे हैं चीन। भिखारी जा रहे हैं अरब देशों में, और आतंकी आ रहे हैं भारत। इन तीनों कामों में ज्यादा कमाई नहीं है तो पाकिस्तान भीख पर उतर आता है। भीख मांगकर फिर धमकी पर उतर आता है। उसका क्या होगा?

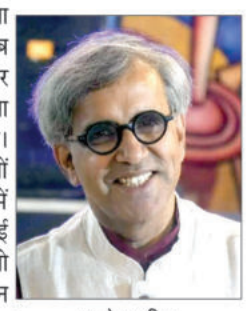

आलोक पुराणिक

जी वही होगा, जो होता आ रहा है, फैंसी ड्रेस की दुकान और लगातार बढ़ती जायेगी। भीख और बढ़ती जायेगी। इंसान हो या देश अगर कोई खुद को गंभीरता से नहीं लेता, तो कोई और भी गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तान अगर देश होता, तो जरूर समझ लेता। पर पाकिस्तान देश कहां, फैंसी ड्रेस की दुकान है जी।

जासूसी के मकड़जाल पर कानून की निगहबानी

हाल ही में हुए सशस्त्र संघर्ष के बाद भारत में पाक खुफिया एजेंसियों के जासूसों और मुखबिरों के नेटवर्क पर कार्रवाई अपरिहार्य थी। यू-ट्यूबर, यायावर, शिक्षाविद, अपराधी और छोटे व्यवसायियों सहित एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों को दुश्मन देश की गुप्त सेवाओं के साथ संदिग्ध सम्बन्धों के चलते गिरफ्तार किया गया है। सम्भव है कि इनमें से अधिकतर व्यक्ति धन प्राप्ति, वीज़ा पाने और प्रायोजित विदेश यात्राओं की खातिर अथवा अन्य प्रलोभन के वशीभूत होकर विदेशी एजेंटों के जाल में फंस गए हों।

समय के साथ जासूसी के दायरे और विधाओं में बदलाव आया है और इसके आयाम अधिक व्यापक और जटिल हो गए हैं, जिसमें विभिन्न तकनीक पर आधारित, कार्यप्रणाली तथा तरह-तरह के लक्ष्य शामिल होते जा रहे हैं। प्राचीन युग में राजाओं के मुखबिर जानकारी एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गुप्त रूप से घूमते थे। अधीनस्थ रियासतों के षड्यंत्रों तथा महल की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए भी राजाओं द्वारा गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे।

आधुनिक सूचना क्रान्ति के दौर में गुप्त जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रियाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। इनमें साइबर हमलों और आतंकवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सम्भावित खतरों की पहचान करना, विरोधियों की सैन्य क्षमताओं को परखना और सैनिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के साथ-साथ व्यापारिक रहस्यों, बाजार के रुझान और प्रतिस्पर्धियों की जानकारी से सम्बन्धित मामलों पर आर्थिक जासूसी शामिल है। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों एवं भू-राजनीति से जुड़े मसलों की निगरानी शामिल है।

औद्योगिक क्रान्ति के बाद, आधुनिक राज्य की अवधारणा विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक जटिल विश्व-व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था के लिए आवश्यक रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक महत्व की जानकारी एकत्रित करने के लिए पारम्परिक मानव-केन्द्रित गुप्तचर प्रणाली बहुत कम उपयोगी रह गई है। इसके लिए सिग्नल इंटेलिजेंस, वायर इंटरसेप्शन, फोटोग्राफी, उपग्रह इमेजरी और साइबर निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी और अमूर्त परिसम्पत्तियों पर आधारित तौर-तरीकों से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण गुप्तचर संस्था की जरूरत आन पड़ी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर उपकरणों का उपयोग सटीक और सम्यक 'सॉफ्ट इंटेलिजेंस' एकत्रित करने और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिकी पर आधारित प्रणालियों को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। विरोधियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए हार्डवेयर को हैक करना और सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना आम बात हो गई है। साइबर जासूसी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक-संचार माध्यमों को बाधित करके उनसे प्राप्त सिग्नलों का विश्लेषण करने के लिए 'सिग्नल इंटेलिजेंस' लोकप्रिय हो रही है। 'इमेजरी इंटेलिजेंस' तकनीक का उपयोग करना, जिसमें उपग्रह और ड्रोन, हवाई टोही यंत्रों द्वारा डिजिटल फोटोग्राफी शामिल है, अब कोई रहस्य नहीं रह गया है।

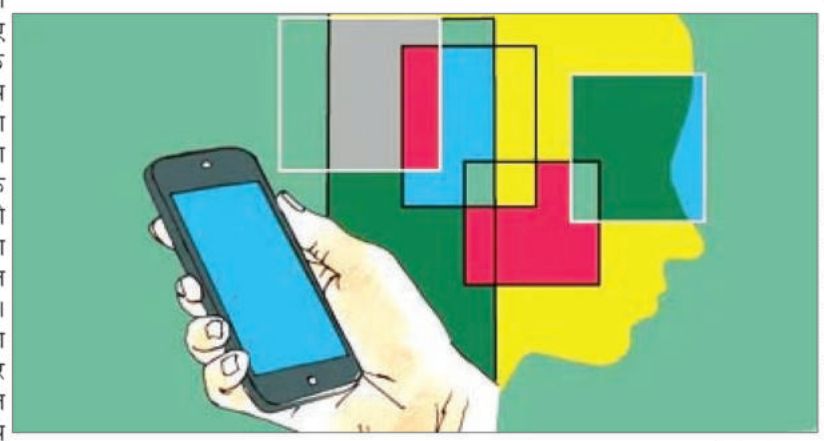

हालांकि, व्यक्तियों, संगठनों और दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अन्दर के भेदी लोगों को अपने साथ मिलाकर लक्षित संस्थान के अन्दर घुसपैठ करके पारम्परिक निगरानी के तरीके गुप्त एजेंसियों द्वारा अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दुश्मन की सूचना एकत्र करने वाली इकाइयों को बाधित और भ्रमित करने, देश के रणनीतिक हितों के रक्षार्थ तथा 'डीप स्टेट' के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भी जासूसी आवश्यक है। हितधारक, प्रतिद्वंद्वी की गुप्तचर अथवा प्रभावित करते हैं। कुछ हालिया गिरफ्तारियों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

दुनियाभर की सरकारों द्वारा जासूसी और 'डीप स्टेट' के प्रचार के खतरों से निपटने के लिए कानूनी तंत्र विकसित किया जाता रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों और सूचनाओं के प्रकटीकरण को रोकने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा वर्ष 1889 में भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (आईओएस एक्ट) अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस कानून को और मजबूत किया गया और परिणामस्वरूप 1904 में आईओएस एक्ट में संशोधन किए गए।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अंग्रेजों को सैन्य रहस्यों और प्रतिष्ठानों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923' (ओएस एक्ट) पारित किया गया। जिसमें शासन के लिए आवश्यक गोपनीयता के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था।

ओएस एक्ट जासूसी को अपराध घोषित करता है। जासूसी की परिभाषा में किसी निषिद्ध स्थान में प्रवेश करना या स्कैच और नोट बनाना या किसी सरकारी दस्तावेज या सूचना को प्राप्त करके उसे अवांछनीय तत्वों तक पहुंचाने के कार्य को शामिल किया गया है, जो किसी दुश्मन के लिए उपयोगी साबित हो सकता हो या जो भारत की संप्रभुता और अखण्डता एवं विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रभावित कर सकते हो। यहाँ तक कि किसी विदेशी गुप्तचर के साथ मात्र सम्पर्क रखना भी ओएस एक्ट की धारा 4 में अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

गोपनीयता, सरकारों के कामकाज में अन्तर्निहित है। किसी भी सरकारी सूचना को जान-बूझकर प्रकट करना या किसी लोक सेवक के कब्जे में स्थित आधिकारिक दस्तावेज को किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करना 'ओएस एक्ट' के अन्तर्गत अपराध है जिसमें 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।

कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि 'ओएस एक्ट' केवल सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के इर्द-गिर्द घूमने वाले अवांछित व्यक्तियों और लोक सेवकों के अविवेकपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए ही पर्याप्त है, यह दुश्मन के गुप्तचरों से राष्ट्रीय सुरक्षा को दरपेश गम्भीर खतरों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। तदानुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) मे एक नई धारा 152 जोड़ी गई, जिसके अन्तर्गत सशस्त्र विद्रोह को भड़काना या अलगाव को बढ़ावा देना और वित्तीय साधनों या अन्य किसी भी प्रकार से भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालना आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

के.पी.सिंह

इसके अतिरिक्त, भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी फैलाना और बेबुनियाद प्रचार करना अथवा उन्हें प्रकाशित करना, बीएनएस की नई जोड़ी गई धारा 197(1)(डी) के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की कैद से दण्डनीय अपराध घोषित किया है।

निःसंदेह, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की एकता और अखण्डता, सार्वजनिक शांति और सामाजिक सद्भाव सर्वोपरि हैं और इन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही, अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा की खातिर जासूसी से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कानूनी शक्तियों के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना को रोका जा सके।

वकील की मौत के 40 वर्ष बाद हीबानामा के आधार पर नामांतरण का मामला चर्चा में

मुख्य नगर परिषद अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच की मांग

माही की गूंज, आष्टा।

नगर परिषद आष्टा ने एक वकील के बेशकीमती मकान को उनकी मौत के 40 वर्ष बाद हीबानामा के आधार पर अन्य लोगो के नाम नामांतरण कर दिया। जिसकी शिकायत आष्टा में वकील रहे स्वर्गीय खलील एहमद के पुत्र सईद एहमद एवं रईस एहमद ने लोकायुक्त संगठन भोपाल, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, कमीश्नर भोपाल संभाग एवं कलेक्टर सीहोर को कर आष्टा नगर परिषद के मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की मांग की हैं। शिकायतकर्ता सईद एहमद एवं रईस एहमद निवासी हाथीखाना आष्टा ने बताया कि उनके पिता स्व. खलील एहमद की मालिकयत एवं कब्जे का करीब दो करोड रूपये की कीमत का मकान सिकंदर बाजार आष्टा में हैं, जिसका फर्जी हीबानामा की कहानी के आधार पर नगर परिषद आष्टा ने नामांतरण मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद अबदुल्ला, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद बिलाल पुत्रगण मोहम्मद इलियास निवासी काजीपुरा के नाम कर दिया। इस मकान पर सईद एहमद एवं रईस एहमद ही बतौर मालिक वकील खलील एहमद की मृत्यु दिनांक 25.5.1988 के बाद से काबिज हैं तथा समय समय पर वे नगरपालिका का टेक्स भी जमा करते रहे है, परंतु गत् कुछ माह पहले उनके पिता की इस मकान को हडप कर जाने की नियत से फर्जी हीबानामा की कहानी बनाकर तथा झूठे गवाह हाजी शेरूद्दीन पिता कमरूद्दीन निवासी सिंगारचोरी, तह0 आष्टा, जिला सीहोर, सगीर खॉ पिता मासूम खॉ निवासी सिंगारचोरी, तह0 आष्टा एवं खुशीलाल पिता सालगराम निवासी इंदिरा कालोनी, आष्टा को बनाकर नगरपालिका आष्टा के मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना के साथ सांठगांठ कर दिनांक 21.8.2024 को नामांतरण मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद अबदुल्ला, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद बिलाल पिता मोहम्मद इलियास के नाम से कथित नामांतरण दिनांक 21.8.2024 को कर दिया, जबकि उन्होने मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना को दिनांक 15.7.2024 को ही लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी, पुनः दिनांक 20.8.2024 को मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना को लिखित आपत्ति नामांतरण नही करने बावत् दी। इस महत्वपूर्ण नामांतरण प्रकरण का आपत्ति ईश्तेदार अनजान ने अखबार में प्रकाशित करवाया ताकि किसी को जानकारी नही मिल सकें। जबकि नियम अनुसार नामांतरण का इश्तेहार आपत्ति आमंत्रण का प्रकाशन सबसे ज्यादा वितरित होने वाले अखबार में किया जाना था। मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश सक्सेना ने शपथपत्र दिनांक 19.7.2024 खलील मियॉ की कोई संतान नही थी का परीक्षण किए बगैर तथा शिकायतकर्ता सईद एहमद, रईस एहमद को हीबानाम के साक्षियो के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बिना नामांतरण प्रकरण को अध्यक्ष को भेज दिया तथा एकपक्षीय विधिक अभिमत् भी पूर्व से नगर परिषद के नियुक्त वकील दिनेश भूतिया की जगह नए वकील नीलेश शर्मा की नियुक्त कर एकपक्षीय विधिक अभिमत लिया। सईद एहमद ओर रईस एहमद ने इस कथित विवादित नामांतरण को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर के समक्ष अपील भी की है तथा राजेश सक्सेना मुख्य नगर परिषद अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच करने की मांग की हैं क्योंकि यदि हमारे पिता खलील अहमद का कोई हिबानामा होता तो उसे 40 साल तक छुपाकर क्यों रखा गया। शिकायतकर्ता सईद एहमद का कहना है कि, हमारे पिताजी स्वर्गीय खलील एहमद काफी पढ़े लिखे थे वे यदि अपने मकान का हिबा करते तो वो लिखित या रजिस्टर्ड हिबा करते। नगर पालिका के सी एम ओ की मिलीभगत से हमारे मकान का गलत नामांतरण किया गया है।

बिहार एसटीएफ की गाड़ी पलटी, दो जवानों की मौत और चार घायल

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में दिल्ली-मुंबई आठ लेन एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह गुजरात जा रही बिहार एसटीएफ की गाड़ी अनियंत्रित होकर पटल गई। इस हादसे में एसटीएफ के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें रतलाम तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

घायलों में एक की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें तत्काल इंदौर रेफर किया गया। वहीं, तीन घायलों को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन तीनों को भी इंदौर रेफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से चर्चा कर उपचार की जानकारी ली।

रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बिहार एसटीएफ के जवान गया से स्कॉर्पियो वाहन (कार) में बैठकर एक अपराधी को पकड़ने के लिए गुजरात के गांधीधाम जा रहे थे। बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ईसरथूनी के समीप स्कार्पियो वाहन क्रमांक बीआर-02 पीके 3135 अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) मुकुंद मुरारी और आरक्षक (कॉन्स्टेबल) विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार और तीन कॉन्स्टेबल जीवधारी कुमार, मिथिलेश पासवान व रंजन कुमार कुमार घायल हुए हैं। प्रत्यदर्शियों ने बताया कि तेज गति के चलते वाहन अनियंत्रित होने के बाद पलटी खा गया। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घायल आरक्षक रंजन कुमार ने बताया कि मैं पीछे सोया हुआ था। पता नहीं कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। जब गाड़ी रुक गई तब बाहर निकलकर देखा तो हादसा हो गया था। घायल मिथिलेश पासवान ने बताया कि हम गया से गांधीधाम जा रहे थे। सीक्रेट ऑपरेशन था। एक्सप्रेस-वे पर रतलाम से आगे गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण एक्सीडेंट हो गया।

मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। आज भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा ताल और आलोट क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए ग्राम मंडावल में स्थित श्री कृष्ण टी स्टाल रेस्टोरेंट एंड किराना स्टोर का निरीक्षण कर बेसन,चावल,चायपत्ती के नमूने लिए गए,ग्राम आबूपुरा स्थित श्री सवारियां मावा भट्ठी से मावा एवं दूध के नमूने लिए गए। इसी प्रकार मेन रोड आलोट स्थित स्वागत ट्रेडर्स से रवा के नमूने लिए और वंदन ट्रेडर्स से देशी घी के नमूने लिए गए तथा बडौद नाका आलोट स्थित श्री खाटूश्याम टी स्टाल एवं रेस्टोरेंट से बेसन एवं मिठाई के नमूने लिए गए। विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर सभी दुकान संचालकों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और गुणवातायुक्त खाद्य पदार्थो का संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए। लिए गए सभी नमूने जांच हेतु भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्यप्रदेश बटालियन एन.सी.सी., मंदसौर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 26 मई से 04 जून तक मंदसौर में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में नीमच और मंदसौर के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएँ भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, करियर आदि विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कैडेट्स को इन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। यह शिविर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जहाँ उन्हें न केवल व्यक्तित्व विकास बल्कि सामुहिक कार्य तथा कठिन समय में दृढ़ता के साथ मुकाबला करने का और अपनी भूमिका को भी समझने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। इस शिविर में कैडेट्स फौजी जीवन से परिचित होंगे और राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित बुनियादी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे हथियारों को चलाने खोलने और जोड़ने, मैप रीडिंग, और विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षणों का अभ्यास करेंगे। शिविर में खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएंगी, जिला प्रशासन की ओर से इस शिविर के लिए यथा सम्भव सहायता प्रदान की जा रही हैं कमान अधिकारी ने बताया कि इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले छात्र सैनिकों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा हर कैडेट राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हैं और अपनी सेना पर उन्हें पूरा भरोसा हैं, युद्ध मे कैडेट सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करने को उत्सुक हैं। कर्नल ने यह भी कहा कि हमारे कैडेट्स समाज में हमारे संदेशवाहक हैं और राष्ट्र की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैयार हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स नागरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका को समझेंगे और इसे निभाने के लिए तैयार किये जाएंगे। यह शिविर युवा मनों को अनुशासन, नेतृत्व और सेवा के मूल्यों से सशक्त करने का प्रयास है, इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण है जो समृद्धि के साथ-साथ संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व से परिपूर्ण हो।

16 जिलों के किसान बड़े आंदोलन की तैयारी

माही की गूंज, मंदसौर।

इस साल मानसून के समय से पहले आने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 8-10 जून तक आएगा। ऐसे में किसान चिंतित हैं, क्योंकि खेतों में मूंग की आधी फसल पक चुकी है। मूंग दाल 50 फीसदी पक चुकी है और बाकी दालों को पकने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में किसानों को चिंता है कि कहीं उनकी दो महीने की मेहनत बारिश में बर्बाद न हो जाए।

दूसरी ओर, जिन किसानों ने मूंग की फसल काट ली है, वे मूंग को सुरक्षित रखने को लेकर चिंतित हैं। अगर एमएसपी पर खरीद की तारीख घोषित नहीं होती है, तो परेशान किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 16 जिलों में किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं।

किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं

किसान स्वराज संगठन के प्रदेश सचिव गजेंद्र जाट ने कहा कि, अभी तक सरकार की ओर से मूंग खरीद को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कृषि मंत्री भी इस मुद्दे पर चुप हैं। यदि सरकार मूंग खरीदी की तिथि तय नहीं करती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के 16 जिलों के किसान सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि 28 मई को किसान नर्मदापुरम में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें भैरोंदा क्षेत्र सहित कई स्थानों से किसान पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं, किसान स्वराज संगठन भी 30 मई को भैरोंदा में किसानों की बैठक कर ट्रैक्टर रैली निकालने पर चर्चा करेगा। किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

6 जून को मंदसौर से होगी आंदोलन की तैयारी

जाट ने बताया कि, 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। इस दिन यहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की प्रदेशाध्यक्ष गीता मीना सहित कई अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारी जुटेंगे। यहीं से पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जाट के अनुसार यदि सरकार मूंग की खरीदी नहीं करती है तो हजारों किसान सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और चक्का जाम करेंगे। 43 हजार हेक्टेयर में मग लगाया गया

बता दें कि, इस साल इस क्षेत्र में 43 हजार हेक्टेयर में मग लगाया गया है। इस साल अनुकूल मौसम के कारण मग उत्पादन में भी सुधार हो रहा है। जागरूक किसानों द्वारा कई नई किस्में लगाई गई हैं, जिनसे प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उत्पादन मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 26,022 किसानों से 71,734 मीट्रिक टन मग खरीदा गया था, जो वर्ष 2022 की तुलना में 2,726 मीट्रिक टन अधिक था। प्रति किसान मग खरीद का लक्ष्य 12 क्विंटल रखा गया था, फिर भी रिकॉर्ड खरीद हुई। मग खरीद के बदले किसानों को 613 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। लेकिन इस साल मग खरीद को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस पर महिलाओं के लिए हुए विशेष कार्यक्रम

माही की गूंज, मंदसौर।

अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी बी एल बिश्नोई के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नूतन हाई स्कूल मंदसौर में किया गया। कार्यक्रम में महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में उड़ान संस्था की ओर से श्रीमती संगीता कुंभकार ने माहवारी स्वच्छता एवं उसके प्रबंधन के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट आफ मदर एंड चाइल्ड के जिला संयोजक सोनिक मिश्रा द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों के साथ परिचर्चा की गई, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह एवं उसके दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए सहायक संचालक पीसी चौहान द्वारा बाल विवाह न करने एवं ना होने देने हेतु अपील की गई। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मंदसौर उमराव सिंह जैन द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु शपथ दिलाई गई। इस दौरान परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बी आर मुजाल्दे पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पाकिस्तानी चालाकी में डूबे बांग्लादेशी और बांग्लादेश से भारत रहे सतर्क

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत भूमी पर 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मैदान में इस्लामी आतंकवादियों ने पर्यटको के समुह पर हमला किया, जिसमें नाम धर्म पूछ कर गोली चलाई गई। इस इस्लामी आतंकी हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी और 20 के लगभग घायल हो गए थे। एक ऐसा ही और इस्लामी आतंकी हमला बांग्लादेश के ढाका में 1 जुलाई 2016 में हथियारों से लेस आतंकियों ने किया था। जिसमें भी नाम देश और धर्म पूछ कर गोलिया चलाई गई थी। उस इस्लामी आतंकी हमले में तीन बांग्लादेशी, सात जापानी, नो इटालीयन, और एक भारतीय की मौत हो गई थी। गौर करने बाली बात है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में जिन इस्लामी सात आतंकियों को मृत्यु दंड दिया गया था 30 अक्टुबर को वह सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई।

1 जुलाई को ढाका में हुए इस्लामी आतंकी हमला में ढाका के पॉश डिप्लोमेटिक क्षेत्र में आर्टिशन बेकरी रेस्टोरेंट पर भारी हथियारों से लेस आतंकीयों ने हमला किया था। 20 से अधिक मौतों के साथ दर्जनों को बंधक बनाया गया था। और ऐसे निर्मम हत्याकांड करने वालों के साथ बांग्लादेश ने उदारता दिखाई और बेवजह भटके, खुंखार आतंकवादियों की सजा में बदलाव कर दिया गया।

बांग्लादेश के जन्म से ही भारत तरह-तरह की दुविधाओं से घिरता रहा और स्वमं को संभालता रहा। 1947 में जब कांग्रेस की सहमती से भारत का विभाजन धर्म का आधार पर किया जा रहा था तब बंगाल को भी विभाजन इसी प्रकार किया गया। हिंदु बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल कहलाया और मुस्लीम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल कहलाया। अब पूर्वी बंगाल 1955 में पूर्वी पाकिस्तान बना, परंतु इसके पहले पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान की बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। और अतंतः पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल का नाम बदल कर पूर्वी पाकिस्तान रख दिया गया। यातनाएं बढ़ने लगी और तब शेख मुजीब रहमान की अगुआई में स्वतंत्रा आंदोलन की शुरुआत की गई। रंक्त रंजीत संघर्ष हुआ, हजारों मारे गए युद्ध की भारी स्थिती से बचने के लिए नब्बे लाख से ज्यादा लोग भारत की सीमा पर शरणार्थी बनकर चले गए। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसर्मपण किया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जिसके प्रधानमंत्री शेख मुजीब बने जिनकी हत्या हुई थी उसके बाद वहां सैन्य शासन लगा था।

1971 के बाद से ही बांग्लादेश में भी भारतीय और हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद से ही हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हैं जबकि भारत ने करोड़ो बांग्लादेशियों को अपनी शरण में रखा हुआ है, भारत को उन सभी को भारते खदेड़ना होगा। भारत ने जब पाकिस्तान के इस्लामी आतंकी हमले का उत्तर दिया उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के समाचार लगातार आते रहे हैं। इससे यब स्पष्ट होता है कि, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार न तो राजनीतिक स्थिरता बहाल कर पाई है न ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाई है।

मोहम्मद यूनुस अपने बल पर अंतरराष्ट्रीय वित्तिय नेटवर्क में पैठ जमाए हुए थे और उसी का लाभ लेते हुए यूनुस ने जो बाइडन की चुनाव में वित्तीय सहायता भी की थी, किंतु ट्रम्प जीत गए और ट्रम्प ने सार्वजनिक रुप से नाराजगी थी व्यक्त की थी। यूनुस स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे। भारत से तो पहले ही वे तनातनी बढ़ा चुके थे। फिर अपनी सत्ता बरकरार करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने चीन का सहारा लिया। चीन की खुश के लिए यूनुस ने यह तक कह दिया कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से काट सकता है। इस क्षेत्र में समुद्र में वह अकेला है उसका ईशारा चीकन नेक या सिलिगुड़ी कॉरिडोर को लेकर था। इस कॉरिडोर के उत्तर में चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनात कर रखी है। यूनुस तो चीन को यह भी संदेश देकर आए कि भारत चीन टकराव की स्थिति में आए तो बांग्लादेश चीन का साथ देगा। यूनुस बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा खेल खेलने को तैयार है वह तो यह भी चाहता है कि अमेरिका उसकी सुध ले और ऐसा हुआ भी। अमेरिका की बात बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमां से हुई फिर यूनुस सरकार ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में बांग्लादेश की भूमि पर अमेरिका को कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी। ताकि चीन और म्यांमार का प्रभाव बंगाल की खाड़ी के कम किया जा सके। बहुत की बातों में तनाव बढ़ता दिखाई दिया तब जनरल वकार ने संकेत दिया कि ऐसा कोई कॉरिड़ोर नहीं बन रहा।

अब उधर दोहरी चाल में यूनुस की नीति का परिणाम है, फिर इस दौरान पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों और अन्य इस्लामिक कट्टरपंथियों की ताकतों को बांग्लादेश में मजबूत होने का पुरा मौका मिल गया। वे महिलाओं को अधिकार देने का खुलकर विरोध कर रहे हैं और जिहादी भारत को धमकाने में लगे है। तुर्किए का एनजीओ समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश का समर्थन करने में लगे हुए है। पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी भारत में बसे बांग्लादेशी लोगों को भारत के विरुद्ध उपयोग करने में पुरी तरह से लगे हुए है।

रिंकेश बैरागी

हालांकि भारत देश के अंदर छुपे दुश्मनो को ढुंढ रहा है फिर भी भारत को चौगुनी गति से कार्य कर रोहिग्या और बांग्लादेशियों को चुन-चुन कर बाहर निकालना चाहिए, गुजरात ने शुरुआत की लेकिन कुछ समय के बाद वहां भी अभियान धीमी गति में पहुंच गया। फिलहाल नेपाल बार्डर पर भी तैनाती बड़ी दी गई है।

बहरहाल भारत देश के अंदर भारत में ही रहकर भारत में ही पोषित होते हुए भी भारत के विरुद्ध षड़यंत्र रचते है ऐसे देशद्रोहियों का भारत में अब सफाया करने का समय आ गया है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो सबकुछ सहन कर ले। भारत अब प्रश्नों के उत्तर और प्रतिउत्तर भी देना जानता है। भारत के विरोध में जितनी भी विचारधाराएं है उन्हें भारत अपने अनुसार सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, और ऐसी विचारधाराओं को नष्ट करना ही चाहिए जो भारत के मूल, उसकी संस्कृति, और उसके सनातन विचार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

आधार घोटाले का पर्दाफाश, बदले में बिना आधार पत्रकारिता पर एफआईआर

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसूरी

आलोचना और विरोध दोनो अलग-अलग हैं। कई बार लोग आलोचना को विरोध समझ लेते हैं, जबकि आलोचक आपका विरोधी नहीं, मित्र ही होता है। कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है।

''निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।''

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष और विपक्ष के साथ ही लोकतंत्र का सजग प्रहरी है मीडिया। और मीडिया के लोग किसी के भी विरोधी नहीं हो सकते है, आलोचक हो सकते हैं।

ऐसी ही एक आलोचना को विरोध समझ लिया गया और संपादक एवं पत्रकार के खिलाफ भी बिना किसी जांच-परख के एफआईआर दर्ज कर ली गई।

मीडिया का कार्य है गांव, नगर या जिले प्रदेश या देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार और अधिकारों की लड़ाई में सच को आम जनता तक पहुंचाना।

ऐसे ही आधार कार्ड में संशोधन के नाम पर भोले-भाले ग्रामीणों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ शासन-प्रशासन की कुंभकर्णी निंद्रा भंग करने तथा आम जनता को इस खुली लूट से बचाने के उद्देश्य से माही की गूंज ने लगातार समाचार प्रकाशित किए। लेकिन **''उल्टा चोर कोतवाल को डांटे''** की तर्ज पर जो पुलिस प्रशासन आम जनता की उचित एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, लेकिन इस मामले में बिना किसी प्रामाणिक तथ्य के पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। जिसके बाद कानून के ऊपर यह कहावत लागू होते दिखाई दे रही है कि, **''जिसकी लाठी, उसकी भैंस।।''**

निर्भिक पत्रकारिता का पतन करने का घिनोना प्रयास

माही की गूंज जहां आम जनता के हित की बात आती है तो वह सदैव उसके लिए निर्भीक कलम चलती है। चाहे मामला भ्रष्टाचार का हो, भू-माफिया का हो, शराब माफिया का हो या फिर चाहे प्रशासनिक अनियमितता का हो। सिस्टम में सुधार की अपेक्षा के साथ हमारी कलम आम जनता की आवाज बनती है और आगे भी बनती रहेगी।

माही की गूंज ने 24 अप्रैल से 22 मई तक लोक सेवा केंद्र के संचालक विनय गुप्ता द्वारा किस तरह से आधार केंद्र की आईडी दी जाती है। साथ ही ऑपरेटर के माध्यम से निर्धारित राशि से अधिक की राशि वसूली कर 100-100 रुपये प्रति आधार कार्ड अपने व अपने रिश्तेदार परिचितों के बैंक अकाउंट में ऑपरेटर के माध्यम से विनय गुप्ता अवैध वसूली करता है, का मामला मय प्रमाण के साथ प्रकाशित किया है।

उसमें एक प्रमुख प्रमाण यह था कि, थांदला एसडीएम ने स्वयं एक शिकायत पर मय वीडियो व ऑपरेटर के कथन के साथ प्रमाणित किया था कि, विनय गुप्ता के कहने पर आधार कार्ड सेंटर थांदला में निर्धारित राशि से अधिक की अवैध राशि मांगी जा रही है, जो कि अनुचित है। विनय गुप्ता के उक्त कृत्य से शासन की छवि धूमिल हो रही है, प्रमाणित किया था। वही कठोर कार्रवाई हेतु पत्र क्रमांक 2803/2024 कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही विनय गुप्ता किस तरह से यूपीआई से पेमेंट अपने रिश्तेदारों के बैंक खाते में लेता है, वह भी प्रमाणित मय छायाप्रति के समाचारों में प्रकाशित किया।

प्रशासन को विनय गुप्ता के विरूद्ध करना थी कार्रवाई पर पत्रकारों पर कर दी कार्यवाही

उक्त समाचारों के प्रमाणीकरण के साथ प्रशाशन को चाहिए था कि समाचारों का अवलोकन कर मामले की जांच के साथ आमजन के हितों व शासन की प्रतिष्ठा को देखते हुए विनय गुप्ता के साथ संबंधित के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती। परंतु यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां **''उल्टा चोर कोतवाल को डांटे''** की तर्ज पर तीन अन्य व्यक्ति, जिनका माही की गूंज से कोई वास्ता नहीं है और न ही हमारे या हमारे किसी प्रतिनिधि से व्यक्तिगत परिचित भी नहीं है। बावजूद बिना तथ्यों के आधार पर माही की गूंज के प्रतिनिधि सुनील सोलंकी व प्रधान संपादक संजय भटेवरा के विरुद्ध अवैध वसूली के संबंध में फर्जी मामला दर्ज कर दिया।

एसडीओपी रविंद्र राठी से हुई चर्चा

पुलिस द्वारा बिना तथ्य व बिना जांच के त्वरित झूठा मामला दर्ज करने पर थांदला एसडीओपी रविंद्र राठी से माही की गूंज के प्रधान संपादक के साथ पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 25 मई को मुलाकात की और बताया कि, पुलिस द्वारा बिना किसी सूचना व जांच के झूठा मामला दर्ज करना कहां तक उचित है?

अभिषेक कुमार पिता चूड़ामणि गुप्ता उम्र 22 साल निवासी ग्राम सिरोला तह, थाना मझौली जिला सीधी म.प्र ने थाना थांदला पर उपस्थित होकर एक लेखिय आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन करते प्रथम दृष्टिया आरोपियान शादाब शैय्यद पितामीर शेय्यद नि. मुसलमान मोहल्ला मस्जिद वाली गली थांदला के साथी 2.इमरान खान निवासी थांदला 3.आमिर खान निवासी थांदला 4.सुनील सोलंकी निवासी खवासा5.संजय भटेवरा निवासी बाजना रोड गणेश मन्दिर के सामने खवासा के विरूद्ध धारा 308(2) बीएनएस का अपराध पाया जाने से उक्त आरोपियानो के विरूद्ध धारा 308(2) बीएनएस कायमी कर विवेचना मे लिया गया । नकल आवेदन हस्बजैल है । दिनांक-12/05/2025 प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.)विषय: लोक सेवा केन्द्र के संचालकन में शादाब शैय्यद पितामीर शेय्यद नि. मुसलमान मोहल्ला मस्जिद वाली गली थांदला के साथी इमरान खान , आमिर खान व सुनील सोलंकी , संजय भटेवरा नि. बाजना रोड गणेश मन्दिर के सामने खवासा द्वारा अवैध वसूली करना , धमकी देना , शासन के नियमानुसार कार्य न करने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु। महोदय,विषयान्तर्गत लेख के संबंध में निवेदन यह है कि मै विनय कुमार पिता कौशल प्रसाद गुप्ता नि. ग्राम दादर थाना बड़वास जि. सीधी का हूँ जो लोक सेवा केन्द्र थांदला इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ । लोक सेवा केन्द्र थांदला पर अपरेटर राकेश पिता खसू चरपोटा उम्र 35 वर्ष नि. ग्राम देवी गढ थाना थांदला जि. झाबुआ कम्प्यूटर आधार आपरेटर अभिषेक गुप्ता , कर्मचारी सुमित पिता पंकज राठौर नि. थांदला , अजय सिंगाड नि. पंचपिपलिया , मुन्ना अमलियार नि. टिमरवानी , पिन्टू पिता किशोर मेहते नि. थांदला के है जो शासन के नियमानुसार कार्य करते है । केन्द्र पर शादाब सैय्यद पिता मीर सैय्यद निवासी मुसलमान मोहल्ला मस्जिद वाली गली, थांदला मोबाईल नम्बर 9770070005 जोकि तेजाजी काम्प्लेक्स कुम्हारवाडा में कीओस्क का संचालन करते है, उसके साथी इमरान, आमिर व सुनील सोलंकी द्वारा केन्द्र पर आकर जबरन अवैध पैसो की मांग करते है ।कर्मचारियो व मुझसे पैसो की मांग करते है तथा बोलते है कि मुझे पैसे नही दोगे तो हम लोग माही की गूंज अखबार में तुम्हारे व विनय गुप्ता के खिलाप झूठी खबर छपवा देगे तथा केन्द्र के बाहर ग्राहको से अवैध रूप से पैसा लेकर बोलतेहै कि हमलोग तुम्हारा पैसा केन्द्र के देकर तुम्हारा काम करा देगें और ग्राहक अन्दर आकर हमारे कर्मचारियो से विवाद करते है तथा लडकी पूजा देवदा नि. दाहडिया सेआधार कार्ड सुधारने के नाम पर शादाब सैय्यद पिता मीर सैय्यद ने 2000/हजार रुपये ले लिये तथा लडकी पूजा को लोक सेवा केन्द्र थांदला पर भेज दिया था तो मालूम पडा तथा शादाब सैय्यद पिता मीर सैय्यद जो तेजाजी काम्प्लेक्स कुम्हारवाडा थांदला मे कियोस्क सेन्टर दुकान चलाता है जहां शादाब सैय्यद व इसके साथी इमरान खान , आमिर खान लोगो से फर्जी तरीके से अवैध रूप पैसा कागजात (आधार कार्ड, व अन्य)बनाने के नाम पर लेते है फिर लोगो के बोलते है कि केन्द्र के कर्मचारी काम नही कर रहे है और लोगो को परेशान करते है तथा हमारे कर्मचारियो के पास लाकर केन्द्र मे बोलतेहै कि इनका काम आप लोग नही करते हो आप को अधिक पैसा चाहिये इस तरह धमकाते है तथा माही की गूंज अखबार में छापने की धमकी देते है तथा पैसो की मांग करते है दिनांक 24/4/25 व 1/5/25 को अखबार झूठी खबर छापी गयी है इस तरह हमारे केन्द्र पर अवैध रूप से शादाब सैय्यद पिता मीर सैय्यद निवासी मुसलमान मोहल्ला मस्जिद वाली गली, थांदला साथी इमरान, आमिर व सुनील सोलंकी द्वारा अवैध रूप से पैसो की मांग की जाती है नही देने पर झूठी खबर छापी जाती हैइन लोगो से हमारे कर्मचारी परेशान है इस लिये इन लोगो के विरुध कार्यवाही कराने हेतु लिखित रिपोर्ट करता हूं । सलग्न-1. पैपर कटिंग-2,2. पूजा देवदा के द्वारा हस्तलिखित आवेदन व वीडियो प्रार्थी संचालक/ इंचार्ज, लोक सेवा केंद्र थांदला के हस्ताक्षर अंग्रेजी मे अपठनीय है दिनांक:-12/05/2025

बिना जाच के पत्रकारो पर झूठी एफआईआर।

एसडीओपी श्री राठी ने एक महिला का वीडियो सुना, जिसमें किसी शादाब के नाम अपना बयान दिया कि, दो हजार रूपये शादाब ने आधार कार्ड के संबंध में लिए थे और थांदला व खवासा के आधार कार्ड सेंटर पर उसे भेजा। लेकिन उसका काम आधार संबंधित पैसे लेने के बावजूद नहीं हुआ। तथा पिछले एक वर्ष से किसी शादाब निवासी थांदला से वह परेशान होकर शिक्षा विभाग में वह अपने आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सकी आदि बात उसने अन्य किसी के पूछे जाने पर कही जो विडियो मे था।

उक्त वीडियो में भी माही की गूंज का या माही की गूंज टीम के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वही एसडीओपी साहब ने पत्रकारों को बताया कि, 24 अप्रैल व 1 मई के समाचार के साथ 12 मई को विनय गुप्ता ने लिखित शिकायत की थी।

जब संजय भटेवरा ने एसडीओपी साहब को माही की गूंज में प्रकाशित 24 अप्रैल, 1, 8, 15 व 22 मई को प्रकाशित समाचार पत्र के साथ एसडीएम साहब द्वारा कलेक्टर साहब को लिखे पत्र को दिया। वही बताया कि, की गई झूठी रिपोर्ट 12 मई से पूर्व, 8 मई तक माही की गूंज अंक में तीन समाचार प्रकाशित हो चुके थे, चुकि 8 मई को एसडीएम साहब द्वारा प्रमाणित कथन के साथ कलेक्टर को दिए प्रतिवेदन के साथ समाचार प्रकाशित किया था।

लेकिन पुलिस को भी विनय गुप्ता व अभिषेक गुप्ता ने गुमराह करते हुए माही की गूंज में 8 मई को प्रकाशित समाचार की प्रति पुलिस को नहीं दी, जिसमें विनय गुप्ता के विस्तृत अवैध वसूली के कारनामे उजागर हुए थे।

एसडीओपी श्री राठी ने भी 24 अप्रैल व 1 मई के प्रकाशित समाचार को पढ़ा और कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत हो। तथा एसडीएम साहब द्वारा लिखे हुए प्रतिवेदन को प्रमाणित करते हुए कहा, मामले में आपका खात्मा हो जाएगा। हम मामले की पूरी जांच करेंगे। तथा शादाब शैय्यद, इमरान खान व आमिर खान को भी बुलाकर जांच करेंगे तथा आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं।

आगे पुलिस अपनी क्या कार्रवाई करती है तथा जांच में विनय गुप्ता जैसे अवैध वसूली करने वाले को संरक्षण देकर निर्भीक पत्रकारिता का दमन करने का प्रयास करती है या मामले में प्रमाणिक जांच कर कलेक्टर का नाम लेकर पत्रकार को धमकाने, आधार से अवैध वसूली करवाने व पुलिस को गुमराह करने वाले विनय गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगी यह तो आगे पता चलेगा। रही बात हमारी कलम की, तो ऐसे झूठे मामलों के साथ कभी भी परास्त नहीं होगी। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है तथा न्यायिक व्यवस्था के साथ हमारा जवाब भी देंगे।

यह मामला किया दर्ज

भ्रमित करने वाली उक्त झुठी रिपोर्ट, जो कि सोशल मीडिया पर एफआईआर की प्रति 23 मई को किसी अन्य से हमें प्राप्त हुई, जिसमें अभिषेक कुमार पिता चूड़ामणि गुप्ता (22) निवासी ग्राम सिरोला, तह. व थाना मझौली, जिला सीधी ने लिखित आवेदन दिया, एफआईआर में दर्शाया गया। साथ ही नीचे विषयांतर्गत विनय कुमार पिता कौशल प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम दादर, थाना बड़वास, जिला सीधी तथा लोक सेवा केंद्र थांदला का इंचार्ज के पद पर कार्यरत है दर्शाया। एफआईआर में उल्लेख किया कि, लोक सेवा केंद्र थांदला पर ऑपरेटर राकेश चारपोटा, झाबुआ कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक गुप्ता, कर्मचारी सुमित राठौर, अजय सिंगाड, मुन्ना अमलियार, पिंटू मेहते जो शासन के नियमानुसार कार्य करते हैं। केंद्र पर शादाब शैय्यद पिता मीर शैय्यद (कियोस्क संचालक) उसके साथी इमरान, आमिर व सुनील सोलंकी द्वारा केंद्र पर जाकर जबरन अवैध पैसों की मांग करते हैं।

कर्मचारी व मुझसे पैसे की मांग करते हैं तथा बोलते हैं कि, मुझे पैसा नहीं दोगे तो हम लोग माही की गूंज अखबार में तुम्हारे व विनय गुप्ता के खिलाफ झूठी खबर छपवा देंगे। तथा केंद्र के बाहर ग्राहकों से अवैध रूप से पैसा लेकर बोलते हैं कि, हम लोग तुम्हारा पैसा केंद्र को देकर तुम्हारा काम करवा देंगे और ग्राहक अंदर आकर हमारे कर्मचारियों से विवाद करते हैं।

तथा लड़की पूजा देवड़ा से आधार कार्ड सुधारने के नाम पर शादाब शैय्यद ने 2 हजार रूपये ले लिए तथा लड़की पूजा को लोक सेवा केंद्र थांदला पर भेज दिया था। तो मालूम पड़ा शादाब शैय्यद तेजाजी कांपलेक्स कुम्हारवाड़ा थांदला में कियोस्क सेंटर दुकान चलाता है। जहां शादाब शैय्यद व इसके साथी इमरान खान व आमिर खान लोगों से फर्जी तरीके से, अवैध रूप से पैसा, कागजात (आधार कार्ड व अन्य) बनाने के नाम पर लेते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं कि, केंद्र के कर्मचारी काम नहीं करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तथा हमारे कर्मचारियों के पास लाकर केंद्र में बोलते हैं कि, इनका काम आप लोग नहीं करते हो, आपको अधिक पैसा चाहिए, इस तरह धमकाते हैं। तथा माही की गूंज अखबार में छापने की धमकी देते हैं तथा पैसों की मांग करते हैं। 24 अप्रैल व 1 मई को अखबार में झूठी खबर छापी गई है। इस तरह हमारे केंद्र पर अवैध रूप से शादाब, इमरान, आमिर व सुनील सोलंकी द्वारा अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती है, नहीं देने पर झूठी खबर छापी जाती है, आदि उल्लेख एफआईआर में किया गया।

माही की गूंज टीम अन्य तीन व्यक्ति शादाब, इमरान व आमिर से परिचित नहीं हैं, वही हमारा प्रतिनिधि सुनील सोलंकी उक्त मामले के पूर्व तक भी किसी से संपर्क में नहीं था और ना ही सुनील कभी थांदला के आधार कार्ड सेंटर पर गया। ऐसे में बिना तथ्य व जांच के माही की गूंज के प्रधान संपादक संजय भटेवरा व पत्रकार सुनील सोलंकी के विरुद्ध झूठी एफआईआर कर निर्भीक पत्रकारिता का पतन करने का घिनोना प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है।

करंट लगने से कर्मचारी की मौत, परिजनों का धरना

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले के शिवना क्षेत्र में मंगलवार को बिजली संधारण के दौरान करंट लगने से एक संविदा कर्मचारी की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान बागदरी निवासी रामलाल (32) के रूप में हुई है। यह हादसा बिजली लाइन के संधारण के दौरान हुआ।

परिजन रामलाल को आभापुरी अस्पताल से खंडवा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की माँग को लेकर बुधवार सुबह परिजन शव लेकर लगभग 90 किलोमीटर दूर खरगोन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस कारण चार घंटे तक यातायात बाधित रहा।

मृतक की पत्नी संगीता ने आरोप लगाया कि, बिजली विभाग और प्रशासन की ओर से कोई भी घटनास्थल या अस्पताल नहीं पहुंचा। उन्होंने 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि, पारिवारिक पेंशन और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की माँग की। संगीता ने बताया कि उनके परिवार में छह बच्चों का भरण-पोषण करना अब एक बड़ी चुनौती है।

अपर कलेक्टर रेखा राठौड़ द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। जिला रेडक्रॉस समिति की ओर से एक लाख रुपये की तात्कालिक सहायता और बिजली कंपनी की ओर से पंद्रह हजार रुपये की मदद दी गई। प्रशासन ने अतिरिक्त राहत देने और आरोपों की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। चैनपुर पुलिस ने मीडिया को बताया कि, मामले में मर्ग की जाँच की जाएगी।

साथ ही, बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

बेमौसम बारिशः ईंट भट्ठों को नुकसान

माही की गूंज, बड़वानी।

बुधवार सुबह हुई बेमौसम बारिश ने जिले के करीब 150 ईंट भट्ठों को भारी नुकसान पहुंचाया। खुले में सूखने रखी लाखों कच्ची ईंटें भीगकर मिट्टी में बदल गईं।

ईंट भट्ठा संचालक कमल प्रजापत ने बताया कि उनके यहां एक लाख से अधिक ईंटें खराब हुईं, जिससे लगभग 75 हजार रुपये का नुकसान हुआ। व्यवसायियों ने बताया कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें जीएसटी, जिला कर, रॉयल्टी जैसे कर भरने पड़ रहे हैं।

भट्ठा संचालक शांतिलाल गोले ने मांग की कि बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रॉयल्टी और करों में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि कर्ज और मजदूरी की भरपाई करना मुश्किल हो गया है।

नये आर्थिक सूरज बनने के सुखद एवं गौरवपूर्ण पल

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने रविवार की सुबह नये उगते सूरज के साथ भारत के नये आर्थिक सूरज बनने की सुखद एवं आह्लादकारी खबर दी। उन्होंने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले ढाई से तीन वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकडों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी बन चुके भारत ने अनेक नवीन संभावनाओं एवं उपलब्धियों को पंख लगाये हैं। निश्चित ही भारत आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में एक महाशक्ति बन कर उभर रहा है, जो हर भारतीय के लिये गर्व एवं गौरव की बात है।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं और जो योजना बनाई जा रही है, अगर हम उसी पर टिके रहते हैं, अपनी योजनाओं एवं नीतियों को आगे बढ़ाते है तो भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं, जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है और इस दौरान जीडीपी का आकार 5,069.47 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं, 2028 तक भारत की जीडीपी का आकार 5,584.476 अरब डॉलर होगा, जबकि इस दौरान जर्मनी की जीडीपी का आकार 5,251.928 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक, 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं, चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रभावों में बढ़ोतरी होगी। भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे जी 20 और आईएमएफ में प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। इससे भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी, जैसे चंद्रयान-5 और सैन्य सहयोग, भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। भारत विश्वगुरु बनने एवं विश्व नेतृत्व करने में सक्षम होगा। भारत ने जापान को पछाड़ कर जो छलांग लगायी है, इसके पीछे जापान की अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां रही है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 0.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो भारत की 6.5 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। जापान की उम्रदराज आबादी और लो बर्थ रेट ने लेबर फोर्स को सीमित कर दिया है। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा कि भारत की विकास दर 2025 में 6.2 प्रतिशत और 2026 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे निकलने की रेस में है। ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने से ये विकास दर बनी रहेगी। हालांकि, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड टेंशन की वजह से इसमें थोड़ा असर पड़ सकता है।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर निर्मित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, उनके अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। मोदी सरकार की नियोजित एवं दूरगामी सोच का ही परिणाम है रिजर्व बैंक के पास सोने के भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में आर्थिक गतिविधियां नये शिखरों पर सवार है, क्योंकि भारत में डीमैट खाते 19 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश के कुल डीमैट खाते अब अन्य देशों की तुलना में नौवें स्थान पर हैं, जिसका मतलब है डीमैट खाते रूस, जापान, इथियोपिया, मैक्सिको जैसे देशों की आबादी से अधिक और बांग्लादेश की आबादी के करीब है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1,40,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और हर 20 दिन में एक यूनिकॉर्न उभरता है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है, जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर हो जाता है।

इन आर्थिक उजले आंकड़ों में जहां मोदी के विजन 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर भारत ने जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थ-व्यवस्था बन गयी है। भारत ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां भी नयी-नयी शक्लों में उभर रही है। नयी आर्थिक उपलब्धियों एवं फिजाओं के बीच धनाढ्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। पलायनवादी सोच के कगार पर खड़े राष्ट्र को बचाने के लिए राजनीतिज्ञों एवं नीति नियामकों को अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति को त्यागना होगा। तभी समृद्ध हो या प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने ही देश में सुख, शांति, संतुलन एवं सह-जीवन का अनुभव कर सकेगा और पलायनवादी सोच से बाहर आ सकेगा। करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे।

भारत के अति समृद्धशालियों की संख्या समूचे विश्व में सर्वाधिक है। इन समृद्धशालियों से उम्मीद यह की जाती है कि देश में रहकर समृद्धि हासिल करने वाले समय आने पर देश को लौटाएंगे भी। तभी देश आर्थिक दृष्टि से दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्रता से गति कर सकेगा। सवाल यही है कि देश को लौटाने और फायदा देने का वक्त आता है तब धनाढ्यों में एकाएक विदेश में जाकर बसने की ललक कैसे और क्यों पैदा हो रही है? अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के समय इस तरह की पलायनवादी सोच का उभरना व्यक्तिगत स्वार्थ, सुविधा एवं संकीर्णता को दर्शाता है। दुनियाभर में धन और निवेश प्रवासन के रुझान को ट्रैक करने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट में अति समृद्ध भारतीयों का अपना सब-कुछ समेट कर हमेशा के लिए भारत से जुदा हो जाने का अनुमान अनेक प्रश्न खड़े करता है, सरकार को इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है।

ललित गर्ग

सदियों पहले भारत एक विकसित सभ्यता एवं सोने की चिड़िया रहा है। भारत हर दृष्टि से समृद्ध देश रहा है। अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ने से पहले मध्यकालीन दौर में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी रहा। विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा। इतिहास में झांकें, तो लग सकता है कि मौर्य साम्राज्य की तरह एक बार फिर भारत समृद्धि के शिखर पर आरोहण करते हुए नए आर्थिक सफर एवं दुनिया की बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने के लिये साजो-सामान तैयार कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली के विशेषज्ञों ने कुछ ही समय पहले कहा है कि अगले दस साल भारत के लिए कुछ वैसे ही तेज विकास का समय होगा, जैसे चीन ने 2007 से 2012 के बीच देखा। आज के भारत में राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा के साथ पूरे इलाके का एक आर्थिक तंत्र भी विकसित हो रहा है। आर्थिक समृद्धि का दौर शुरू हुआ है तो इसके बाधक तत्वों पर विचार करना ज्यादा जरूरी है।

वीडियो बना रहे शख्स और गार्ड में हुई बहस

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर धाम में दर्शन करने गए एक इंफ्लूएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसमें कपल मंदिर प्रशासन पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं।

हालांकि, इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर मंदिर प्रशासन तक ने इस मामले में अपना जवाब दिया है।मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर धाम की महिला अपरम पार है। हर साल यहां लाखों से अधिक की संख्या में लोग बाबा का दर्शन करने आते है और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन वहां जाने वाले कई लोग वीआईपी कल्चर को लेकर भी अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस बार एक इंफ्लूएंसर ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली है, जो वायरल हो गई है।

दरअसल, इंफ्लूएंसर नैना अपने पति अर्पित के साथ बाइक से ट्रेवल करते हुए महाकालेश्वर पहुंची होती है और वहां जाकर मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर उनकी सिक्योरिटी से बहस हो जाती है। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आता है, मंदिर प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके अलावा यूजर्स ने भी वायरल क्लिप पर कमेंट्स में जमकर अपनी राय रखी है। मंदिर में वीडियो बनाना मना है3महाकालेश्वर दर्शन करने गई महिला वीडियो में बताती है कि सुबह साढ़े 5 बजे लाइन में लगने के बाद साढ़े 7 बजे मेरा नंबर आता है। फिर मेरे हाथ में फोन देखकर एक महिला सिक्योरिटी गार्ड भड़क जाती है, तो मैं उसे बताती हूं कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूं। फिर एक पुरुष गार्ड आता है और वह महिला पर चिल्लाना शुरू कर देता है। आगे महिला बताती है कि जब उसकी पति इस बात के लिए विरोध करता है और कहता है कि आप लोग गलत करेंगे, तो मैं आपकी वीडियो बनाउंगा, यह सुनकर सिक्योरिटी वाले उन दोनों को कंट्रोल रूम ले जाते हैं। जैसे वह कोई अपराधी हो।

इसके बाद क्लिप के अंत में महिला पूछती है कि सिक्योरिटी ने पहले हमारी चेकिंग क्यों नहीं की। वह यह भी मुद्दा उठाती है कि जो सेलिब्रिटीज महाकाल में आते ही उन्हें ज्यादा समय मिलता है और आम लोगों को जल्दी निकाल दिया जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

वीडियो बनाने को लेकर बहस

इस पूरे मामले के वायरल होने पर कंटेंट क्रिएटर नैना के पति अर्पित का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अर्पित और मंदिर के कर्मचारियों के बीच बहस देखी जा सकती है। वापस लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि नियम केवल आम भक्तों पर लागू किए जा रहे हैं, वीआईपी पर नहीं। एफपीजे की रिपोर्ट के अनुसार, उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने इस मामले पर कहा कि 'महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना या उसका इस्तेमाल करना सख्त मना है। साथ ही, किसी महिला की जांच करना अशोभनीय है... फिर भी, कपल रील बना रहा था और प्राइवेट गार्ड द्वारा ऐसा न करने को कहने पर पर हंगामा करने लगा।' मंदिर के प्रथम कौशिक ने कपल के दावों पर बात करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में नैना के पति 'गणेश मंडपम' के अंदर वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने उन्हें केवल नियमों का पालन करने के लिए कहा था, और उस व्यक्ति ने गुस्सा दिखाया।

लोगों की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए जहां कुछ यूजर्स नैना और उसके पति की तरफदारी कर रहे हैं। वही कई लोगों का कहना है कि अगर मंदिर में फोन बैन है, तो नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जबकि उनकी वायरल वीडियो में अनुष्का-विराट की क्लिप देखकर भी कई लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वह उनकी श्रद्धा पर कैसे सवाल उठा सकती है?

नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा

माही की गूंज, अलीराजपुर।

म.प्र शासन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण, सतत प्रवाह एवं समग्र विकास हेतु 'नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा' का आयोजन 25 से 28 मई 2025 तक अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड में किया गया।

यात्रा के तीसरे दिन बड़ी सिरखड़ी, उमरठ, साकड़ी, गुलवट एवं टेमला ग्रामों में श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जनसंपर्क, सर्वेक्षण एवं चौपालों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं नर्मदा सेवा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ग्राम वासियों को सामूहिक रूप से जल संरक्षण, स्वच्छता एवं नर्मदा सेवा की शपथ दिलाई गई। साथ ही नर्मदा बेसिन क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आग्रह किया गया, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए नदी क्षेत्र की हरियाली में वृद्धि हो सके।

इस अवसर पर प्रदीप सोलंकी, नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि छगन सिंह सस्तीया, एवं समाजसेवी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा नदी केवल जीवनदायिनी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक भी है।

यात्रा में जिला समन्वयक दीपक जगताप, विकासखंड समन्वयक राम सिंह निगवाल एवं नगरिया सस्तीया, नवांकुर समिति सदस्य ओपसिंह सोलंकी, प्रस्फुटन समिति सदस्य, एवं सीएमसीएलडीपी छात्र भंगड़ सिंह ओहरिया की सक्रिय सहभागिता रही।

यह यात्रा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियानों की एक सशक्त कड़ी है, जिसका उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना है। उक्त जानकारी जिला समन्वयक द्वारा दी गई।

अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं (जेंडर चैम्पियन) के साथ संवाद कार्यक्रम एवं उदिता योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत जिले में बुधवार को ग्राम पंचायत नानपुर में शाला?यागी बालिकाओं के साथ बाल विवाह, माहवारी, स्वच्छता एवं साइबर क्राइम विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती कस्तूरी किराड़, सुरेश वास्कले ममता यूनिसेफ जिला समन्वयक, सहित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ शाखा प्रभारी कैलाश डुडवे एवं पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई।

पुलिस की आई.बी. अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, उज्जैन।

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई.बी.) के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बीती रात पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई। अधिकारियों ने इसे समन्वय बैठक नाम दिया। बैठक में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षकगण, समस्त थाना प्रभारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में उज्जैन जिले की संवेदनशीलता और भौगोलिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु मंथन हुआ।एसपी शर्मा के अनुसार बैठक में प्रमुख बिंदु एवं निर्देश इस प्रकार रहे-

गुंडा/बदमाशों पर सतत निगरानी हो। विशेष रूप से शाम एवं रात्रिकालीन समय में थाना क्षेत्र में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साप्ताहिक अथवा रैंडम चेकिंग अनिवार्य रूप से की जाए। होटल, लॉज, ढाबा आदि की नियमित जांच हो। संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए लगातार निरीक्षण किया जाए।

सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच हो।सिम बेचने वाले दुकानदारों को थानों में बुलाकर दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाए। उनके व्यवसायिक क्रियाकलापों की निगरानी की जाए।

संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो सिमी, पी.एफ.आई. अथवा अन्य संदिग्ध संगठनों से संभावित रूप से जुड़े हों या बाहरी/बंगाली मूल के रहवासी अथवा व्यवसायी हों, उनकी गहन जांच की जाए। ई-रक्षक एप के माध्यम से आधार या अन्य वैध पहचान-पत्रों से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। फर्जी दस्तावेज़ की स्थिति में कार्यवाही हो। दस्तावेजों में भिन्न फोटो या जानकारी पाए जाने पर गंभीरता से जांच की जाए। संदेहास्पद मामलों में संबंधित व्यक्ति का सी.डी.आर. तलब कर सत्यापन किया जा सकता है। फर्जी बंगाली/बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी पर पारितोषिक हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर ?50,000/- का पारितोषिक निर्धारित किया गया है। कानूनी कार्यवाहियों की समीक्षा हो। धारा 122 जा.फौ. एवं धारा 185 भा.दं.वि. के अंतर्गत की गई पूर्व कार्यवाहियों की समीक्षा कर सुधारात्मक निर्देश दिए गए।

थाना क्षेत्रों में निवासरत बंगाली मूल के नागरिकों की विशेष जांच हो। प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे नागरिकों की सत्यता की गहनता से जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

गर्भपात के लिए भटकती रही रेप पीड़िता

माही की गूंज, धार।

तिरला क्षेत्र की 13 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसके गर्भवती होने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को उसे परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को पीड़िता के पिता धार पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आगामी प्रक्रिया करने के लिए कहा, लेकिन विभाग द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर तक मामला पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर उसे एंबुलेंस कराई गई।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी भटकते रहे परिजन

मामले में वकील नवनीत जैन ने बताया कि हम लोग पीड़िता की ओर से गर्भपात की प्रक्रिया के लिए निवेदन करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संयोग से केंद्रीय राज्यमंत्री दौरे पर थीं और हमने नाबालिग के पिता के माध्यम से आवेदन दिया, तब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शिंदे ने बताया कि विभाग द्वारा सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं और कोर्ट के आदेश का समय पर पालन किया गया है। बालिका को एंबुलेंस के माध्यम से इंदौर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 24 सप्ताह का गर्भ होने के कारण गर्भपात करने की अनुमति केवल मेडिकल कॉलेज को होती है। अब वहां उसकी जांच आदि के बाद गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, धार जिले के एक गांव की 13 साल की नाबालिग को 3 महीने पहले कुछ बदमाश अगवा कर अहमदाबाद ले गए। लड़की के गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब पीड़िता नाबालिग अपने घर पर लौटी तो उसने परिजनों को पूरा वाकया बता दिया। उसने बताया कि युवक ने उसके साथ गलत काम किया है, इससे किशोरी प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई, जब नाबालिग के पेट में दर्द बढ़ा। महिला डॉक्टर को दिखाने पर किशोरी के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई।

शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा 4 और 5 जून को, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

माही की गूंज, उज्जैन।

गंगा दशमी पर्व पर 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शामिल होना प्रस्तावित है। निगम अध्यक्ष कलावती यादव और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने परिक्रमा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में नरेश शर्मा, अनोखीलाल शर्मा, निगमायुक्त आशीष पाठक भी उपस्थित थे। सभी ने पूजा स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था,घाटों की साफ सफाई, विभिन्न स्थानों पर रंग-रोगन करवाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का संकल्प रामघाट से लिया जाएगा।

क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति की बैठक संपन्न

शिप्रा तीर्थ परिक्रमा अंतर्गत विक्रमादित्य शोधपीठ कार्यालय में क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति की बैठक हुई। शिप्रा लोक संस्कृति समिति के सचिव नरेश शर्मा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, भाजपा नगर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल भाजपा एवं समाज सेवी रवि सोलंकी उपस्थित थे। बैठक में यात्रा मार्ग में आने वाले पड़ाव स्थलों के संबंध में चर्चा की गई। 4 जून को सायं 7 बजे दत्त अखाड़ा घाट पर पवन तिवारी की भजन प्रस्तुति होगी। 5 जून को शिप्रा परिक्रमा के समापन पर रामघाट पर चुनरी अर्पण कार्यक्रम, आर्मी सिंफनी बैंड की प्रस्तुति होगी। पश्चात गायिका स्वस्ती मेहुल प्रस्तुति देंगे। 5 से 16 जून तक प्रतिदिन सायं 7 बजे से पं. ढोली बुआ, ग्वालियर द्वारा हरिकथा एवं नारदीय कीर्तन की प्रस्तुति रामघाट पर दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले की एक ऐसी ही महिला की कहानी है जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर दिनभर रिक्शा चलाकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रही है । बडा ईटारा निवासी मनीषा बघेल जो की गरीब आदिवासी परिवार से है उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने लिए रिक्शा लाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई सालों से रिक्शा चलाकर अपने पति के साथ परिवार चलाने में हाथ बटाती है। वह दिन के 7-8 घंटे रिक्शा चलाती हैं तथा घर खर्च में मदद करती है। मनीषा ने बताया कि वह स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष होने के साथ ही वह गांव संगठन से भी जुड़ी हुई है उन्होंने बताया की उन्होंने पहले आजीविका मिशन के माध?यम से एक लाख रुपये का लोन निकाला था, जिसमें उन्होंने रिक्शा खरीदा और रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण के साथ अपने घर का खर्चा उठाने में पति की सहायता करती है। इसके उपरांत उन्होंने आजीविका मिशन के माध?यम से 40 हजार रुपये का लोन निकाला जिसमें उन्होंने अपनी किराना दुकान व सिलाई की मशीन खरीद कर दुकान संभालने के साथ समय मिलने पर सिलाई का कार्य भी करती हैं ,उन्होंने समूह के माध?यम से 20 हजार रुपये निकाले थे जिसे उन्होंने बकरिया खरीदी भी आज उनके पास कई सारी बकरियां है उन्होंने बताया महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकल कर काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। कई परिवार ऐसे होते है जो महिलाओं को बाहर काम करने से रोकते है, किंतु अगर मन कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्पित हो, परिजनों का सहयोग हो तो महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर घर चलाने में आर्थिक सहयोग कर सकती है। मनीषा बघेल नारी शक्ति को यह संदेश दिया कि वह घर के काम के साथ साथ बाहर भी आकर काम करे तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने । उनका छोटा सा सहयोग परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती देगा तथा स्वयं को सशक्त बनाएगा।

सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत घाट निर्माण कार्यों का होगा भूमिपूजन

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा शनिवार 31 मई को वर्चुअली आगामी सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले घाट निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा साथ ही 83.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैराज/स्टॉप डेम/वेटेड कॉजवे का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका निगम के द्वारा 1.39 करोड़ रूपए की लागत से कालियादेह स्टॉप डेम के मरम्मत कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्व 2028 पर श्रध्दालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई के द्वारा क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक कुल 29.21 किलोमीटर लम्बाई में कुल 778.91 करोड़ रुपए की लागत से घाट निर्माण कार्य किया जाएगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

जल संसाधन विभाग के द्वारा जानकारी दी गई की क्षिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान हेतु आवश्यक जल स्तर व आवागमन बनाए रखने हेतु वेंटेड कॉजवे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए क्षिप्रा नदी को अविरल एवं प्रवाहमान बनाने हेतु क्षिप्रा नदी पर उज्जैन जिले, इंदौर जिले एवं देवास जिले बैराज का निर्माण एवं स्टॉप डैम का मरम्मत कार्य भी किया जावेगा। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा 30 माह रखी गई है।गौरतलब है की उज्जैन शहर पवित्र मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के दोनों तटो पर बसा है। उज्जैन शहर का पौराणिक व धार्मिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष में क्षिप्रा नदीं के दोनों तटों पर सिंहस्थ (कुंभ) पर्व पर मेले का आयोजन होता है। क्षिप्रा नदीं को अविरल एवं प्रवाहमान बनाने एवं श्रृद्धालुओं एवं साधु संतो के स्नान हेतु घाटों का निर्माण किया जाएगा।

वैराज / स्टॉप डेम/ वेंटेड कॉजवे

जल संसाधन विभाग के द्वारा जानकरी दी गई की क्षिप्रा नदी पर जल संसाधन विभाग देवास के द्वारा 2.53 करोड़ रुपए की लागत से गाजनोद खेडा बैराज ,3.23 करोड़ रूपए की लागत से दखनाखेड़ी बैराज , 3.15 करोड़ रूपए की लागत से पटाड़ा बैराज कम कॉजवे , 3.79 करोड़ रुपए की लागत से रनायर बैराज ,4.73 करोड रुपए की लागत से टिगरियागोगा बैराज , 6.74 करोड रूपए की लागत से सिरोंज बैराज कम कॉजवे और 2.57 करोड़ रूपए की लागत से बरोदपिपलिया बैराज का निर्माण किया जाएगा।

नमामि क्षिप्रे परियोजना इकाई उज्जैन के द्वारा क्षिप्रा नदी पर 8.71 करोड़ रुपए की लागत से किड्डोदाराव स्टॉप डेम तथा कान्ह नदी पर 5.74 करोड़ रुपए की लागत से पंथपिपलई स्टॉप डेम, 4.56 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुरा स्टॉप डेम,6.24 करोड़ रूपए की लागत से गोठड़ा स्टॉप डेम, 5.06 करोड़ रूपए की लागत से पिपलियाराघौ क्रमांक 02 बैराज और 6.34 करोड़ रूपए की लागत से रामवासा क्रमांक 02 बैराज का निर्माण किया जाएगा । जल संसाधन विभाग इंदौर के द्वारा 2.69 करोड़ रुपए की लागत से ब्राम्हणपिपलिया स्टॉप डेम , 2.64 करोड़ रुपए की लागत से दर्जीकराड़िया स्टॉप डेम, 1.96 करोड़ रूपए की लागत से कुडाना स्टॉप डेम , 3.43 करोड़ रूपए की लागत से कायस्थखेड़ी स्टॉप डेम , 4.32 करोड़ रूपए की लागत से साहदा स्टॉप डेम ,0.53 करोड़ रूपए की लागत से लालखेडी स्टॉप डेम मरम्मत कार्य और 4.43 करोड़ रुपए की लागत से मेलकलमा बैराज सहपुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका निगम उज्जैन के द्वारा 1.39 करोड़ रुपए की लागत से कालियादेह स्टाप डेम का मरम्मत कार्य किया जाएगा।कान्ह नदी पर उज्जैन जिले में 05 बैराज एवं इंदौर जिलें में 06 बैराज, इस प्रकार कुल 11 वैराजों का निर्माण किया जावेगा। इस प्रकार क्षिप्रा एवं कान्ह नदीं पर कुल 21 वैराजों/स्टाप डेम का निर्माण किया जावेगा।

सरकारी तो ठीक विभाग तक की जमीन नहीं छुड़वा पा रहा है राजस्व विभाग

राजस्व विभाग की कार्रवाई में दोहरा रवैया, बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटता अतिक्रमण

पशु चिकित्सालय की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण करते हुए अतिक्रमणकर्ता।

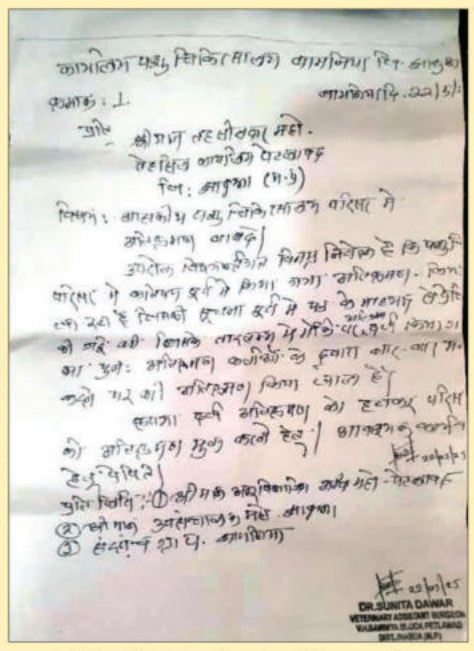

पशु चिकित्सा डॉक्टर द्वारा तहसील कार्यालय की और प्रस्तुत आवेदन।

बामनिया पुरानी जिनिंग फैक्ट्री में चल रहे निर्माण को रोकने पहुँचे तहसीलदार ने एक माह तक नही दिया नोटिस।

जिनिंग फैक्ट्री में नोटिस नही मिलने पर फिर चालू हुआ कार्य, शिकायत के बाद रोक कर दिया नोटिस।

माही की गूंज। पेटलावद/बामनिया

ग्राम में अतिक्रमण की बयार चल पड़ी है और लोग मनमाफिक सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान, दुकान, गुमटियां लगा कर सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। कई मामलों की शिकायत राजस्व विभाग के पास पहुँची लेकिन हर कार्रवाई में राजस्व विभाग के अधिकारी की अलग-अलग कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिससे अतिक्रमणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि, लोग खुली सरकारी भूमि तो ठीक सरकारी विभागों की जमीन तक को नही छोड़ रहे हैं और अतिक्रमण कर खुलेआम निर्माण कार्य कर रहे हैं। इतना ही नही राजस्व विभाग को विभाग द्वारा की गई शिकायत के बाद भी कार्रवाई नही की गई।

पशु चिकित्सालय की भूमि पर अतिक्रमण, विभाग की ओर से शिकायत पर कोई कार्रवाई नही

बामनिया के रतलाम रोड स्थित पशु चिकित्सालय को आवंटित भूमि जहा पर विभाग के पुराने भवन बने हुए है। अतिक्रमणकर्ताओ ने पशु चिकित्सालय नये भवन में शिफ्ट होते ही पुराने भवन ओर उसके आसपास और ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर गुमटी रख कर कब्जा कर लिया। साथ ही आसपास में खाली पड़ी भूमि पर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। मामले की शिकायत पशु चिकित्सा विभाग की डॉक्टर सुनीता डावर ने 22 मई को तहसीलदार पेटलावद को लिखित में शिकायत कर बताया कि, पशु चिकित्सालय परिसर में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है उसे हटा कर विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आवेदन के लगभग एक सप्ताह होने के बाद भी राजस्व विभाग की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नही मिली। जबकि पशु चिकित्सा विभाग को आवंटित भूमि की अधिकांश भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

मामले में ग्राम पंचायत के उप सरपंच ब्रजभूषण सिंह परिहार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि, उक्त भूमि पशु चिकित्सा विभाग को आवंटित है और ग्राम पंचायत इस पर से अतिक्रमण हटाने को भी तैयार है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग को करनी है। हमारे पास विभाग की ओर से कोई आवेदन नही आया है। विभाग की ओर से तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पूरा मामला सरकारी जमीन के साथ-साथ सरकारी विभागों को आबंटित भूमि को अतिक्रमण के नाम पर बेच कर बंदरबांट करने का लग रहा है। जिंसमे राजस्व के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है।

निर्माण कार्य रोकने के एक माह बाद दिया नोटिस, लेन-देन की सेटिंग नही जमी?

अक्सर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी ,पटवारी मौके पर पहुँच कर निर्माण कार्य को रोक देते हैं और शिकायत के आधार पर अतिक्रमणकर्ता को नोटिस जारी कर भूमि संबधी दस्तावेज ओर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करते है। लेकिन यहां राजस्व की कुछ अलग ही कहानी सामने आई , रतलाम रोड स्थित पुरानी जिनिंग फैक्ट्री में चल रहे मकान निर्माण की शिकायत के बाद मौके पर स्वयं तहसीलदार ने पहुँच कर कार्य रुकवाया। लेकिन एक महीने तक निर्माणकर्ता को बिना किसी नोटिस के हवा में उससे दस्तावेजो कि मांग करते रहे। वही निर्माणकर्ता की ओर से अधिकारी तक नोटिस जारी करने पर जबाब देने की बात वकील के माध्यम से पहुँचा दी गई। जिसके बाद भी तहसील कार्यालय की और से कोई लिखित नोटिस नही दिया गया। निर्माणकर्ता ने एक माह तक काम रोकने के बाद फिर से कार्य शुरू कर दिया जिसकी सूचना पर पटवारी ने दोबारा कार्य रुकवाया फिर कही जा कर इस संबंध में निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया। मामले में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि, पूरे मामले को बिना राजस्व रिकॉर्ड पर लिए, लेन-देन की बड़ी डील का प्रयास किया जा रहा था? क्योकि उक्त भूमि का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और कोर्ट की ओर से इस भूमि पर किसी प्रकार की निर्माण की रोक नही है। और इस भूमि पर बीते दस वर्षों में स्थाई-अस्थाई दोनों प्रकार का निर्माण बड़े स्तर पर किया हुआ है।

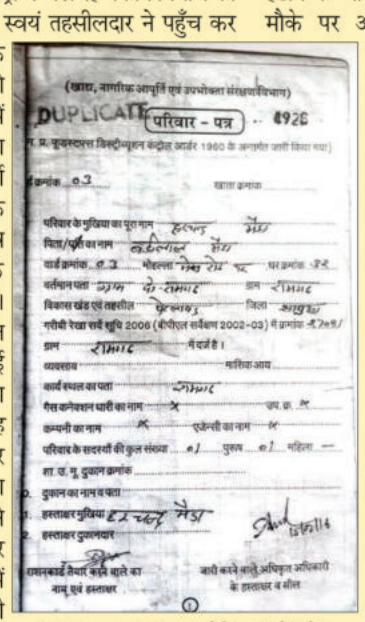

दिव्यांग युवक हरचंद मैड़ा का गरीबी रेखा से नीचे जीवन ज्ञापन करने का राशनकार्ड।

तहसील कार्यालय में घुटनो के बल रेंगते हुए तारीकों पर पहुँचता दिव्यांग हरचंद मैड़ा।

भूमि स्वामी संतोष महेता ने बताया कि, नोटिस मिला है जिसका जबाब वकील के माध्यम से दिया जाएगा, मामला हाईकोर्ट में है जहां से निर्माण पर कोई रोक नही है।

अवैध निर्माण तोड़ने ओर बेदखली के आदेश बने मोटा माल कमाने का जरिया

अतिक्रमण या किसी की निजी भूमि पर अवैध रुप से कब्जे की शिकायत कोई भी व्यक्ति न्याय और सरकारी भूमि मुक्त करवा कर शासन का हित करने के प्रयास में शिकायत करता है। अधिकारी जांच के बाद सभी पक्षो ओर शासकीय रिकॉर्ड के आधर पर निर्णय करते हैं । और यही से अधिकारियों का खेल शुरू होता है, रिकार्ड के हिसाब से भूमि शासकीय निकलने के बाद अतिक्रमणकर्ता को बेदखली का आदेश कर दिया जाता है ओर यही आदेश जबाबदारो की मोटी कमाई का जरिया बन जाता है! आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण नही हटना इस बात का प्रमाण है कि, बड़ी लेन-देन कर अतिक्रमणकर्ताओ को जानबूझ कर संरक्षण दिया जा रहा है। और अतिक्रमण हटाने की बजाय अतिक्रमणकर्ता और ज्यादा अतिक्रमण करने में लग जाता है। जिसकी कई शिकायतो के बाद भी अतिक्रमण हटाया नही जाता। बामनिया के मेला ग्राउंड स्थित शासकीय सर्वे नम्बर 110 की भूमि पर अतिक्रमण, शिकायत के बाद भी मौके पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने की पुष्टि हुई और तहसीलदार द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए। राजस्व दल बल के साथ मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँचा लेकिन अतिक्रमणकर्ता ने खुद से अतिक्रमण हटाने का लिखित में देकर राजस्व की टीम को रवाना कर दिया वही लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण जस के तस है । बताया जा रहा है इस मामले में भू-माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने सरकारी जमीन को निजी बता कर जमीन बिना किसी लिखा-पढ़ी के बेच दी और उन्ही भू-माफिया के इशारों ओर लेन-देन के चलते राजस्व विभाग के जिम्मेदार खुद के अतिक्रमण हटाने के आदेश को हवा में उड़ा कर शिकायतकर्ता को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसा एक नही बल्कि ग्राम के नारेला रोड ,पेटलावद रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। जो अब राजस्व के जिम्मेदारो की मोटी कमाई का साधन बन रहे हैं।

दोहरा मापदंड, बेरोजगार दिव्यांग का छोटा सा अतिक्रमण भी हटा दिया, अभी भी जारी है दबाव

एक ओर तो राजस्व विभाग सरकारी विभागो की जमीन तक अतिक्रमण मुक्त नही करवा पा रहा है। साथ ही तहसील न्यायालय से निकले अतिक्रमण हटाने के आदेशो का पालन तक नही हो पा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर काम रोकने के बाद नोटिस तक जारी नही कर पा रहा है। कही न कही राजनीतिक रसूख ओर लक्ष्मी यंत्र यहां बड़ी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। वही दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आया जहा प्रशासन के अधिकारियों ने बेशर्मी की हदे पार कर दी। मामला ग्राम पंचायत रामगढ़ का है जहां एक बे रोजगार दिव्यांग युवक (दोनों पैरों से विकलांग) ने भीख मांगने की बजाए रोजगार करना उचित समझा। अपने पिता के समय से कब्जे में चली आ रही शासकीय भूमि पर बनी कच्ची झोपड़ी को हटा कर लगभग 650 स्क्वेयर फिट पर चार कालम बना कर चद्दर डाल दिये ताकि वहां कोई रोजगार कर अपना भरण-पोषण कर सके। जहा दिव्यांग ने निर्माण किया वो पूरी भूमि शासकीय है, आसपास किसी की निजी भूमि तक नही है और इस भूमि पर अन्य लोगो के भी कब्जे है। मामले में दिव्यांग युवक के द्वारा किये गए निर्माण की शिकायत तहसील कार्यालय तक पहुँची जिसके बाद तहसीलदार साहब ने दिव्यांग को नोटिस जारी किए और भूमि पर अवैध अतिक्रमण होना बता कर भूमि से बेदखली का आदेश जारी कर दिया। लगातार गुहार लगाने के बाद भी दिव्यांग युवक की एक नही सुनी गई और उसका निर्माण हटाने के लिए तहसीलदार साहब खुद तीन से चार बार मौके पर चले गए। दिव्यांग युवक पर इतना दबाव बनाया कि, युवक ने पहले निर्माण पर लगाये पतरे हटाये, फिर पूरा अतिक्रमण हटा लिया। लेकिन अतिक्रमण को लेकर दोहरी नीति से काम कर रहा राजस्व विभाग यही नही रुक रहा और लगातार दिव्यांग युवक पर मौके पर गड़े चार कालम तक निकलवाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। तथा ये धमकी तक दी जा रही है कि, अगर कालम ओर निर्माण का मलबा नही हटाया तो जेसीबी से अतिक्रमण हटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित युवक हरचंद मेड़ा निवासी रामगढ़ ने बताया कि, तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल कोतवाल के जरिये रोज मौके पर बचे मात्र चार कालम ओर जानवरों के लिए रखा हुआ भूसा जो कि हटाये गए अतिक्रमण की सामग्री से ढका हुआ है उसे हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं दोनों पैरों से विकलांग हु ओर भीख मांग कर भी पेट पाल सकता था लेकिन मैंने रोजगार करने की सोची ओर वर्षो से मेरे पिता के कब्जे वाली भूमि पर मात्र एक दुकान जितनी जगह पर अर्ध कच्चा निर्माण किया था जिसे हटा कर मुझे भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में राजस्व विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। युवक को शासन द्वारा अति गरीबी का अंत्योदय राशन कार्ड जारी है और वो शासन की किसी भी योजना का लाभ पहले लेने का अधिकार रखता है उसे भी अधिकारीयो ने अनदेखा कर दिया।

तहसीलदार निगवाल की भूमिका संदिग्ध!

सभी मामलों को देखने के बाद राजस्व अधिकारी तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उनके इस प्रकार के कार्यों ने आईएएस एसडीएम तनुश्री मीणा और जिला कलेक्टर नेहा मीणा की छवि भी धुमिल हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि, इस प्रकार की कार्रवाई की समीक्षा व जाच की जाए कि, किस प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक दबाव के चलते पूरे राजस्व विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को बदनाम होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही सत्ता धारी दल को भी इस प्रकार अधिकारीयो के कारण भारी बदनामी उठानी पड़ रही है।

अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब तक नही हटाया गया अतिक्रमण, अतिक्रमणकर्ता ने लिखित में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन देकर गुमराह किया प्रशासन को।

अतिक्रमण हटाने के बाद बचे कालम तक उखड़वाने के लिए दबाव बनाते तहसीलदार।

बिना अनुमति के 20 फीट ऊंचे हरे पेड़ की कटाई का मामला

माही की गुंज खवासा। सुनील सोलंकी

एक तरफ प्रदेश सरकार जहां हरियाली महोत्सव के साथ हर जगह पेड़ लगाने का प्रचार-प्रसार कर रही है। वहीं बारिश से पहले हर जगह पेड़ लगाने के उद्देश्य से लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। एक पेड़ जिंदगी के नाम से प्रतिवर्ष कई जगह पेड़-पौधे लगाए जाते हैं।

लेकिन जब इन्हीं पेड़ों को किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के काटा जाता है, तो इसे आप क्या समझेंगे? कुछ ऐसा ही मामला पुराने बालक छात्रावास के अधीन आवंटित आजीविका मिशन भवन के पास देखने को मिला। जहां काफी पुराना इंक्लूड (लुथ्थिकस) का पेड़ बिना अनुमति के काट दिया गया।

कुछ ऐसा ही मामला ग्राम के बाजना रोड पर स्थित बालक छात्रावास परिसर में संचालित म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम ज्योति महिला संघ समूह द्वारा परिसर में स्थित करीब 20 वर्षों से हरा-भरा, लगभग 20 फिट ऊंचा और डेढ़ से दो फिट मोटाई वाले तने वाला पेड़ बिना अनुमति के काटा गया।

जब इस संबंध में स्व सहायता समूह की सहायक ब्लॉक प्रबंधक संगीता चौहान से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि, पेड़ पुराना हो चुका था और वर्तमान में आंधी-तूफान के कारण उसके गिरने का डर था। इससे परिसर में स्थित किचन शेड और शौचालय को नुकसान पहुंच सकता था। इसी वजह से समिति ने इसे काटने का निर्णय लिया, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई।

वहीं, ग्राम पंचायत खवासा के प्रभारी सचिव कांतिलाल परमार ने बताया कि, पंचायत द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई और न ही इस संबंध में कोई आवेदन आया है।

वही वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आबादी क्षेत्र में किसी भी निजी या शासकीय परिसर में पेड़ काटने के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अनुमति तभी मिल सकती है जब पेड़ से किसी प्रकार का वास्तविक नुकसान हो रहा हो। यदि पेड़ मजबूत स्थिति में हो, तो उसे काटने के बजाय उसकी टहनियां और ऊंचाई कम की जा सकती हैं। वही लुथ्थिकस के पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं और ये पेड़ अन्य वृक्षों की अपेक्षा आंधी-तूफान में कम गिरते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422